प्राविधिक शिक्षा परिषद्

उत्तर प्रदेश, लखनऊ

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा

(प्रवेश, परीक्षाओं का संचालन और प्रमाण-पत्र और डिप्लोमा का प्रदान किया जाना)

विनियमावली–1992

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (प्रवेश परीक्षाओं का संचालन और प्रमाण-पत्र और डिप्लोमा का प्रदान किया जाना) विनियमावली, 1992

प्राविधिक शिक्षा विभाग
अनुभाग–3

अधिसूचना

30 सितम्बर, 1992 ई०

सं० 2900/ प्रा० शि०–3–271 (बी)–91—उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1962) की धारा 22 और धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से इसके नीचे उल्लिखित विनियमों से सम्बन्धित विषय पर जारी किये गये नियमों और आदेशों को एतद्द्वारा रद्द करते हैं और उक्त अधिनियम की धारा 23 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा बनाये गये निम्नलिखित विनियमों को अनुमोदित और अधिसूचित करते हैं :–

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (प्रवेश, परीक्षाओं का संचालन और प्रमाण-पत्र और डिप्लोमा का प्रदान किया जाना) विनियमावली, 1992।

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

1—**संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा, (प्रवेश, परीक्षाओं का संचालन और प्रमाण-पत्र और डिप्लोमा का प्रदान किया जाना) विनियमावली, 1992 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2—**परिभाषायें**–जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस विनियमावली में–

(क) "शैक्षणिक वर्ष" का तात्पर्य किसी वर्ष में प्रथम जुलाई को प्रारम्भ होने वाली और अगले वर्ष की तीस जून को समाप्त होने वाली अवधि से है;

(ख) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962 से है;

(ग) "प्रशासनिक विभाग का अध्यक्ष" का तात्पर्य उस विभागाध्यक्ष से है जिसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सम्बद्ध संस्था हो;

(घ) "समिति" का तात्पर्य इस विनियमावली के प्रयोजनों के लिये परिषद् द्वारा गठित समिति से है;

(ङ) "संयोजक" का तात्पर्य बैठकों को संयोजित करने के लिये नियुक्त व्यक्ति से है;

(च) "संरक्षक" का तात्पर्य किसी अभ्यर्थी के प्रवेश के लिये किसी आवेदन प्रपत्र में उल्लिखित संरक्षक से है;

(छ) "प्रधानाचार्य" का तात्पर्य किसी सम्बद्ध संस्था के प्रधान से है;

(ज) "व्यक्तिगत अभ्यर्थी" का तात्पर्य ऐसे अभ्यर्थी से है जो किसी संस्था द्वारा संचालित परीक्षा में अपेक्षित उपस्थिति संख्या के बिना प्रवेश चाहता हो;

(झ) "अध्ययन का नियमित पाठ्यक्रम" का तात्पर्य परिषद् द्वारा समय-समय पर अवधारित अध्ययन के पाठ्यक्रम से है;

(ञ) "सत्र" का तात्पर्य उस अवधि से है जिसके लिये कोई संस्था शैक्षिक वर्ष के दौरान शिक्षण के लिये खुला हो;

(ट) "सत्रीय अंकों" का तात्पर्य कक्षा या पाठ्यक्रम के लिये किसी परीक्षा से सम्बन्धित सत्रीय कार्य के लिये आवंटित अंकों से है;

(ठ) "अनुसूची" का तात्पर्य इस विनियमावली से संलग्न अनुसूची है।

अध्याय-दो

3—**प्रवेश और परीक्षायें**–(क) ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षाओं का संचालन जिन्होंने किसी सम्बद्ध संस्था में डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र या अन्य शैक्षिक उपाधियों के लिये विहित पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो तो उसके प्रदान किये जाने के लिये उसे परिषद् द्वारा संचालित की जाने वाली परीक्षाओं में सम्मिलित होना पड़ेगा।

(ख) परीक्षा वर्ष में दो बार अर्थात् एक बार अप्रैल/मई के महीने में और दूसरी बार अक्तूबर/नवम्बर के महीने में या ऐसे दिनांकों को, जैसा नीचे दी गयी अनुसूची के अनुसार परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित की जाय, आयोजित की जायेगी।

(एक) वार्षिक आधार पर चलने वाले पाठ्यक्रम अप्रैल/मई की परीक्षायें व्यक्तिगत अभ्यर्थियों के साथ-साथ नियमित अभ्यर्थियों के लिये होगी। अक्तूबर/नवम्बर की परीक्षायें केवल अन्तिम वर्ष के बैक पेपर के अभ्यर्थियों के लिये ही होगी।

(दो) अर्द्ध वर्ष (सिमेस्टर) के आधार पर चलने वाले पाठ्यक्रम मई/जून की परीक्षायें समस्त सेमेस्टरों के व्यक्तिगत छात्रों के साथ-साथ द्वितीय, चतुर्थ और छठे सेमेस्टरों के नियमित छात्रों के लिये होगी। अक्तूबर/नवम्बर की परीक्षा पुराने सेमेस्टर के बैक पेपरों के व्यक्तिगत अभ्यर्थियों के साथ-साथ पहले, तीसरे और पांचवें सेमेस्टर के नियमित छात्रों के लिये होगी।

(ग) परीक्षा ऐसे केन्द्रों पर और ऐसे दिनांकों को और ऐसे समय पर होगी जैसा परिषद् समय-समय पर विनिश्चित करें।

अन्तिम वर्ष के छात्रों के लिये बैक पेपर परीक्षा के सिवाय मुख्य परीक्षा के सही दिनांक परीक्षा के प्रारम्भ होने के कम से कम एक माह पूर्व परिषद् से सम्बद्ध समस्त संस्थाओं को अधिसूचित किये जायेंगे। परीक्षा समस्त केन्द्रों पर एक साथ होगी।

(घ) वार्षिक योजना के अधीन सम्मिलित होने वाले अन्तिम वर्ष के छात्रों के लिये बैक पेपर की परीक्षा और सेमेस्टर योजना के अधीन दोनों परीक्षाओं का सही दिनांक और केन्द्र परीक्षा प्रारम्भ होने के कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व समस्त सम्बन्धित संस्थाओं को अधिसूचित की जायेगी।

4—(1) विभिन्न विषयों की परीक्षा में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे–

(एक) सैद्धान्तिक (थ्यौरी),

(दो) प्रायोगिक (प्रैक्टिकल),

(तीन) आवधिक (टर्म/सत्रीय) कार्य,

(चार) मौखिक,

(पांच) परियोजना, और–

उपर्युक्त में से प्रत्येक पृथक शीर्षकों के अधीन या एक साथ जैसा कि परिषद् द्वारा पाठ्य विषय और परीक्षा योजना में विदित किया जाय सम्मिलित होंगे।

(2) मौखिक और प्रायोगिक परीक्षाओं का संचालन परिषद् द्वारा ऐसी रीति से नियुक्त परीक्षक द्वारा किया जायेगा जैसा परीक्षा समिति समय-समय पर विहित करें। लिखित परीक्षा प्रश्न-पत्रों के माध्यम से होगी और प्रश्न-पत्र उस प्रत्येक केन्द्र पर, जहां परीक्षा का आयोजन किया जा रहा हो, एक साथ दिये जायेंगे।

परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये पात्रता

5—(1) परिषद् द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये किसी सम्बद्ध संस्था द्वारा भेजा गया प्रत्येक अभ्यर्थी प्रति वर्ष विहित दिनांक तक–

(क) ऐसी परीक्षा के लिये विहित फीस का भुगतान करेगा, और

(ख) वह उस विषय या उन विषयों का जिसे/जिन्हें वह परीक्षा के लिये वर्तमान योजना के अनुसार, जिसके अधीन वह नियमों के अनुसार पात्र है, उल्लेख करेगा/करेगी।

(2) किसी अभ्यर्थी को किसी परीक्षा के लिये तब तक नहीं भेजा जायेगा जब तक कि संस्था का प्रधान परिषद् के सचिव को प्रत्येक अभ्यर्थी के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न कर दें :–

(क) कि संस्था में उसका प्रवेश परिषद् के नियमों और विनियमों के अनुसार है;

(ख) कि उसने किसी सम्बद्ध संस्था में पूरी अवधि तक नियमित रूप से पाठ्यक्रम को पूरा किया है;

(ग) कि उसने वास्तव में प्रयोग (एक्सपेरीमेन्ट्स) किये हैं और अपने जर्नल परियोजना/डिजाइन कार्य आदि को संतोषजनक ढंग से पूरा किया है;

(घ) कि उसने कक्षा कार्य और नियतकालिक परीक्षाओं अर्थात् सत्रीय परीक्षाओं के लिये, आवंटित न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त किये हैं जैसा कि विनियम 23 के खण्ड (1) के उपखण्ड (ग) के अधीन अपेक्षित है;

(ङ) कि वह कक्षाओं में उपस्थित रहा है जैसा कि विनियम 6 के अधीन अपेक्षित है;

(च) कि उसने अपनी सभी सम्पूर्ण शिक्षण फीस, देयों और साधित्र, उपस्कर की टूट-फूट, पुस्तकालय की पुस्तकों की क्षति के सम्बन्ध में अन्य बकाया देयों या किसी अन्य प्रकीर्ण फीस या देयों का भुगतान कर दिया है;

(छ) कि उसने अपने अध्ययन में संतोषजनक प्रगति दिखाई है और वह अच्छे आचरण और चरित्र का है;

(ज) कि वह भारत में किसी सरकार या नियत प्राधिकारी या कानून परीक्षा लेने वाले प्राधिकारी या परिषद् द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में सम्मिलित होने से किसी अवधि के लिये विवर्जित नहीं किया गया है।

(3) उप विनियम (2) के खण्ड (क) के अधीन अपेक्षित प्रमाण-पत्र, परीक्षा के लिये भेजे गये अभ्यर्थियों का आवेदन-पत्र अग्रसारित करते समय और उप विनियम (2) के खण्ड (ख) से (ज) के अधीन अपेक्षित प्रमाण-पत्र विनियम-6 के अधीन यथा निहित उपस्थिति की गणना के पश्चात् उस शैक्षणिक वर्ष में प्रायोगिक परीक्षा, या सैद्धान्तिक परीक्षा, जो भी पहले हो, के प्रारम्भ होने के विलम्बतम दस दिन पूर्व प्रस्तुत किये जायेंगे :

परन्तु पर्वतीय क्षेत्रों में उन सम्बद्ध संस्थाओं के संबंध में जो 1200 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर है, जहां शीतकालीन छुट्टियां मनाई जा सकती हों, उप विनियम (2) के खण्ड (ख) से (ज) के अधीन अपेक्षित प्रमाण-पत्र, उपस्थिति गिनने के तुरन्त पश्चात् लिखित या प्रायोगिक परीक्षा, जो भी पहले आयोजित की जाय, के प्रारम्भ होने के तीन दिन पूर्व तक भेजा जायगा।

(4) ऐसे मामलों को जहां छात्रों के प्रयोगशाला के प्रैक्टिकल में आवधिक कार्य (टर्म वर्क), सत्रीय कार्य, अपूर्ण हो और प्रधानाचार्य पूरा होने का प्रमाण-पत्र दें और परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये अनुमति दें, प्राविधिक शिक्षा निदेशक और/या सरकार को उस संस्था के विरुद्ध अग्रतर कार्यवाही के लिये सूचित किया जायेगा।

(5) ऐसे किसी अभ्यर्थी को जिसे उप विनियम (2) के खण्ड (ख) से (ज) के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा न करने के कारण किसी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति न दी गई हो, उस परीक्षा में उपस्थित होने की तब-तक अनुज्ञा नहीं दी जायेगी, जब तक कि वह समस्त शर्तों को फिर से पूरा न कर लें।

(6) परिषद् द्वारा आवेदन-पत्र और फीस स्वीकार कर लेने और अनुक्रमांक (रोल नम्बर) का आवंटन कर देने पर भी परीक्षा में आवेदक के कार्य (परफारमेंस)/परिणाम को रद्द कर दिया

जायेगा, यदि बाद में यह पाया जाय कि आवेदक उक्त वर्ष/सेमेस्टर में प्रवेश के लिए और उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र नहीं या अग्रतर, प्रधानाचार्य आवेदक के प्रमाणीकरण के लिये निदेशक/सरकार द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही का भागी होगा।

(7) आवेदन-पत्र को अग्रसारित कर देने, परीक्षा फीस का भुगतान कर देने और परिषद् द्वारा परीक्षा के लिये अनुक्रमांक (रोल नम्बर) का आवंटन कर देने पर भी प्रचार्य उन अभ्यर्थियों का आवेदन-पत्र वापस लेने के लिए सक्षम होगा जो सुसंगत विनियमों की किसी भी शर्त को पूरा करने में विफल रहते हैं।

6—**उपस्थिति**-(1) कोई सम्बद्ध संस्था विनियम 18 के अधीन परीक्षा और पाठ्येत्तर क्रियाकलापों सहित विहित अवधि के लिये प्रत्येक सत्र के दौरान खुली रहेंगी।

(2) किसी अभ्यर्थी को अंतिम माध्यमिक प्राविधिक प्रमाण-पत्र परीक्षा के लिए तब तक नहीं भेजा जाय जब तक कि उसकी उपस्थिति 75 प्रतिशत न रही हो:

परन्तु प्रधानाचार्य, यह समाधान होने पर कि अभ्यर्थी बीमारी के कारण अनुपस्थित रहा या वह पूर्णरूप से अपने नियंत्रण के बाहर के कारणों से कक्षाओं में उपस्थित नहीं हो सका, उपस्थिति की कमी को पांच प्रतिशत तक माफ कर सकता है।

(3) उप विनियम (2) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना डिप्लोमा/पोस्ट डिप्लोमा/पी०जी०डिप्लोमा के किसी वर्ष/सेमेस्टर के किसी अभ्यर्थी को किसी परीक्षा के लिये तब तक नहीं भेजा जायेगा जब तक कि अध्ययन के सुसंगत वर्ष में उसकी उपस्थिति, प्रत्येक विषय में जिसके अन्तर्गत ट्यूटोरियल्स प्रयोगशाला कार्य, ड्राइंग आफिस, कर्मशाला (वर्कशाप), क्षेत्र कार्य (फील्ड वर्क) या स्टूडियो भी है, कम से कम 75 प्रतिशत न रही हो, परन्तु यह कि–

(एक) प्रधानाचार्य, यह समाधान हो जाने पर कि अभ्यर्थी बीमारी के कारण अनुपस्थित रहा था वह पूर्णरूप से अपने नियंत्रण से बाहर कारणों से कक्षाओं में उपस्थित नहीं हो सका, प्रत्येक विषय में उपस्थिति में कमी को पांच प्रतिशत तक माफ कर सकता है;

(दो) प्रत्येक मामले में उपस्थिति के प्रतिशत की संगणना उपस्थिति की समस्त अवधि की संख्या को उप विनियम (4) के अधीन वास्तव में उपस्थित होने वाली अवधि की संख्या द्वारा विभाजित करके और इस प्रकार प्राप्त भिन्न को 100 से गुणा करके, की जायेगी;

(4) ऐसी किसी संस्था में, जिस पर यह विनियमावली होती है इसके पश्चात् यथा उपबंधित रीति से उपस्थिति थी, गणना सत्र के प्रारम्भ के दिनांक से जैसा विनियम 18 में विनिर्दिष्ट है, शैक्षणिक सत्र के 31 मार्च तक और 1200 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय संस्थाओं/क्षेत्र के सम्बद्ध की दशा में, जहां शीतकालीन अवकाश मनाया जा सकता है, लिखित परीक्षा के प्रारम्भ के तीन दिन पूर्व के दिनांक तक की जायगी, परन्तु किसी सम्बद्ध संस्था, जिससे अभ्यर्थी बाद में संबंधित विभागाध्यक्ष की सहमति से प्राविधिक शिक्षा निदेशक के प्राधिकार के अधीन किसी दूसरी संस्था में स्थानान्तरित हो गया हो, में किसी कक्षा विशेष में किसी अभ्यर्थी की उपस्थिति की गणना उस संस्था में, जिसमें वह बाद में अध्ययन करता हो, उस कक्षा विशेष में उपस्थिति की गणना के प्रयोजनार्थ की जायगी:

परन्तु द्वितीयतः ऐसे अभ्यर्थी की जो किसी डिप्लोमा पाठ्यक्रम (माध्यमिक प्राविधिक प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम से भिन्न) के प्रथम या द्वितीय या तृतीय या अंतिम वर्ष की कक्षा प्रथम या द्वितीय या तृतीय या चतुर्थ या पंचम या षष्ठ सेमेस्टर में या तो नये अभ्यर्थी के रूप में या विनियम-22 के अधीन प्रथम या द्वितीय या तृतीय या अन्तिम वर्ष की कक्षा/प्रथम या द्वितीय या तृतीय या चतुर्थ या पंचम या षष्ठ सेमेस्टर में पुनरावर्तक (रिपीटर) के रूप में प्रवेश चाहता है कि उपस्थिति की गणना भी सत्र/सेमेस्टर के प्रारम्भ के दिनांक से की जायगी:

परन्तु तृतीयतः ऐसे अभ्यर्थियों के मामलों में, जिनके रोके गये परिणाम बाद में मुक्त कर दिये जायं, उपस्थिति की गणना कक्षा में आने की दिनांक से या उनके रोके गये परिणाम के मुक्त होने के दिनांक से पन्द्रहवें दिन इनमें जो भी पहले हो, से की जायगी।

(5) किसी अभ्यर्थी की उपस्थिति की गणना केवल उस अवधि के लिये की जायेगी जिसमें वह उपस्थित रहा हो/रही हो, परन्तु किसी अभ्यर्थी को किसी सत्र में जिसके दौरान उसे प्रधानाचार्य के आदेश पर अपनी संस्था का प्रतिनिधित्व करते हुए पाठ्येत्तर क्रियाकलाप में भाग लेने के लिये भेजा जाय, सात दिन से अनधिक अवधि के लिये उपस्थिति की अनुमति दी जायेगी:

परन्तु यदि अवधि सात दिन से अधिक हो तो प्रधानाचार्य द्वारा निदेशक से अनुज्ञा प्राप्त की जायेगी:

परन्तु यह और कि उस अवधि के लिये जिसके दौरान संस्था द्वारा कक्षा के समस्त छात्रों के लिये कोई शैक्षिक भ्रमण (टूर) आयोजित किया जाय, कोई उपस्थिति अंकित नहीं की जायेगी

(6) इस विनियम में किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड विशेष परिस्थितियों में विहित उपस्थिति में कमी को उप विनियम (2) और (3) के उपबन्धों के अनुसार संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा दी गयी पांच प्रतिशत माफी के अतिरिक्त दस प्रतिशत तक माफी दे सकता है:

परन्तु किन्हीं असामान्य परिस्थितियों में ऐसी माफी किसी विशेष संस्था/संस्थाओं को दी जायेगी और निदेशक पहल करेगा और प्राचार्य द्वारा दी गयी माफी के अतिरिक्त विहित उपस्थिति में कमी को माफ करने के लिये बोर्ड को निर्देश करेगा।

एन०सी०सी०/शारीरिक प्रशिक्षण/ खेल-कूद/माडल मेकिंग/ अनुशासन

7—(एक) किसी सम्बद्ध संस्था में अध्ययन करने वाले प्रत्येक छात्र से चार पाठ्येत्तर क्रिया-कलाप अर्थात् एन०सी०सी०/शारीरिक प्रशिक्षण/खेल-कूद/माडल मेकिंग में से किसी एक का विकल्प देने की अपेक्षा की जायेगी। पाठ्येत्तर

क्रिया-कलापों और अनुशासन के लिये पृथक-पृथक अंक आवंटित किये जायेंगे :

परन्तु इस प्रकार दिये गये विकल्प के पाठ्येत्तर क्रिया-कलापों और अनुशासन में अंकों के आवंटन में मार्गदर्शक सिद्धान्त 2:3 के अनुपात में होना चाहिये :

परन्तु यह और कि परिषद् द्वारा समय-समय पर किये जा सकने वाले अग्रता परिवर्तन के अधीन यह होगा :

परन्तु यह भी कि एन०सी०सी०/शारीरिक प्रशिक्षण/खेल-कूद/नमूना तैयार करने (माडल मेकिंग) के लिए समय न मिल सकने के कारण उन्हें अंशकालिक पाठ्यक्रमों के मामले में अनुशासन के लिये 100 प्रतिशत अंक आवंटित किये जायेंगे।

(दो) संस्था का प्रधान छात्रों को इस प्रकार विकल्प दिये गये पाठ्येत्तर क्रिया-कलापों में उनके वास्तविक कार्य संपादन (परफार्मेन्स) के अनुसार अंक देगा।

(तीन) प्रधानाचार्य द्वारा अनुशासन के लिए विभागाध्यक्ष और उस शाखा के संकाय के सदस्यों से परामर्श करके प्रायोगिक और सैद्धान्तिक (थ्यौरी) परीक्षा के समाप्त होने पर अंक दिये जायेंगे, परन्तु अंकों के दिये जाने में उत्पन्न किसी विवाद के मामले में प्रधानाचार्य उस शाखा के, जिसमें विवाद उत्पन्न हुआ है, संकाय के कम से कम तीन सदस्यों की एक समिति बनायेगा और उस समिति की, जिससे अभ्यर्थी संबंधित हो, संस्तुति के अनुसार अंक देगा।

(चार) जहां किसी नियमित छात्र के लिए अनुशासन के अंकों में पर्याप्त कटौती की गई हो, वहां ऐसी कटौती के कारण अभिलिखित किये जायेंगे और उसे अंतिम डिप्लोमा परीक्षा के परिणाम की घोषणा के पश्चात् छः मास तक परिरक्षित किया जायेगा।

(पांच) व्यक्तिगत अभ्यर्थियों को पूर्ववर्ती वर्ष/वर्षों/सेमेस्टर/सेमेस्टरों में नियमित छात्र होने के नाते पहले से अनुशासन के लिये दिये गये अंकों का पुनरावलोकन किया जा सकता है जो आगामी परीक्षा में और उस सुसंगत शैक्षणिक सत्र में जिसका वह परीक्षार्थी हो, उसके व्यवहार पर निर्भर करेगा :

परन्तु पहले से दिये गये अनुशासन के अंकों में कमी किये जाने के मामले में विभागाध्यक्ष/सहायक केन्द्र अधीक्षक/निरीक्षकों/अध्यापकों के परामर्श से प्रधानाचार्य/केन्द्र अधीक्षक अंकों का पुनरावलोकन करेगा और उसके कारणों की सूचना, जो अभिलिखित किये जायेंगे, बोर्ड को देगा।

पाठ्यक्रम में परिवर्तन

8—(1) फार्मेसी पाठ्यक्रम से भिन्न अभियंत्रण शाखाओं के पाठ्यक्रम में और ऐसे अन्य पाठ्यक्रमों मे, जहां पाठ्यचर्या और प्रवेश अर्हता की अपेक्षा के कारण पाठ्यक्रम में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाती, परिवर्तन की अनुमति उन छात्रों को जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद् के माध्यम से किसी भी सम्बद्ध संस्था में प्रथम वर्ष में पहले से ही प्रविष्ट हो, कठोरतापूर्वक आगामी अर्हकारी प्रवेश परीक्षा में प्राप्त योग्यता के आधार पर दी जा सकती है।

(2) संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भिन्न शाखाओं में प्रविष्ट छात्रों के पाठ्यक्रम में परिवर्तन की अनुमति कठोरतापूर्वक उन सामान्य (कामन) शाखाओं के लिये आयोजित अर्हकारी प्रवेश परीक्षा में प्राप्त योग्यता के आधार पर प्राविधिक शिक्षा निदेशक के माध्यम से दी जायेगी।

(3) उपर्युक्त उप विनियम (1) और (2) से भिन्न शाखाओं में अर्थात् योग्यता के माध्यम से, जिसकी गणना परिषद् द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित रीति से और अन्तिम अर्हकारी परीक्षा के आधार पर की जायगी, प्रविष्ट छात्रों को पाठ्यक्रम में परिवर्तन के लिये उस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिये चयन का अवसर प्रदान किया जायगा जिसमें प्रवेश कठोरतापूर्वक योग्यता की गणना के इसी आधार पर प्रदान किया जाता है।

(4) उपर्युक्त उप विनियम (1), (2) और (3) के अधीन प्रविष्ट छात्रों को और ऐसे अभ्यर्थियों को भी, जिनके अध्ययन का पाठ्यक्रम और प्रवेश अर्हता सामान्य नहीं है, पाठ्यक्रम के एक दूसरे से परिवर्तन की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

(5) प्रथम वर्ष की कक्षा में प्रविष्ट किसी अभ्यर्थी को, उसके द्वारा परिषद् की परीक्षा में प्रवेश के लिये प्रपत्र भर दिये जाने और उस प्रपत्र के परिषद् कार्यालय में प्राप्त हो जाने के पश्चात् पाठ्यक्रम में परिवर्तन की कोई अनुमति नहीं दी जायगी।

किसी सम्बद्ध संस्था में प्रवेश

9—(1) (क) विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रमों के वार्षिक/सेमेस्टर आधार पर जिसके लिये संयुक्त प्रवेश परिषद्, प्रवेश परीक्षा लेती है, प्रथम वर्ष की कक्षाओं में प्रवेश को प्रवेश परीक्षा के संचालन के दिनांक के सत्तरहवें दिन तक पूरा कर लिया जायेगा;

(ख) उपर्युक्त खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट से भिन्न वार्षिक/सेमेस्टर आधार पर पाठ्यक्रमों के लिये प्रथम वर्ष की कक्षाओं में प्रवेश को प्रति वर्ष 15 जुलाई तक पूरा कर लिया जायेगा ;

(ग) किसी भी दशा में किसी सम्बद्ध संस्था में प्रथम वर्ष की कक्षाओं में प्रवेश प्रतिवर्ष 31 अगस्त के पश्चात् नहीं किया जायेगा;

(घ) किसी कक्षा में प्रवेश के लिये न्यूनतम पात्रता को विनियम 10 के अनुसार विनियमित किया जायगा ;

(ङ) संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से या परिषद् या निदेशक द्वारा विहित किसी अन्य ढंग से किसी भी पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश ले लेने के पश्चात् उसे पुनः उसी ढंग से प्रवेश लेना पड़ेगा यदि वह उस सत्र/सेमेस्टर में अपना अध्ययन जारी नहीं रखता और उस सत्र/सेमेस्टर में प्रवेश के दिनांक से निरन्तर दो महीने से अधिक समय तक संस्था से गायब रहता है।

(2) विनियम 12 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये प्रवेश सम्बद्ध संस्थाओं के प्रधानाचार्यों द्वारा किया जायगा/किये जायेंगे किन्तु ऐसे अभ्यर्थी को जो इस विनियमावली के अधीन विहित अर्हतायें नहीं रखता है, परिषद् की परीक्षा में सम्मिलित होने की

अनुज्ञा नहीं दी जायेगी, भले ही उसे संस्था में प्रविष्ट कर लिया गया हो।

(3) अनुसूचित जाति और अन्य अभ्यर्थियों के लिये सीटें समय-समय पर जारी किये गये सरकारी आदेशों के अनुसार आरक्षित की जायेंगी। यदि सरकार द्वारा यथा आरक्षित श्रेणियों में उनके सम्बन्धित कोटा से अपेक्षित संख्या में छात्र उपलब्ध न हों तो इस प्रकार रिक्त होने वाली आरक्षित सीटों को अनारक्षित माना जायेगा और उन्हें परिषद् की अनुज्ञा से योग्यता के आधार (अर्ह अभ्यर्थियों की सूची से) पर भरा जायेगा।

(4) अंशकालिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश निम्नलिखित शर्तों द्वारा नियंत्रित होगा–

(एक) अंशकालिक पाठ्यक्रम में प्रवेश उन संस्थाओं में किया जायगा, जहां सम्बन्धित शाखा में नियमित पाठ्यक्रम को चलाने के लिये सुविधायें विद्यमान हैं। कोई संस्था परिषद् की अनुज्ञा के बिना और निदेशक के माध्यम से प्राप्त संस्तुतियों पर ही कोई अंशकालिक पाठ्यक्रम प्रारम्भ नहीं करेगा;

(दो) अंशकालिक पाठ्यक्रम में प्रवेश केवल निम्नलिखित कन्सर्न के नियमित सेवाकालीन वास्तविक कर्मचारियों तक प्रतिबन्धित होगा :–

(क) कारखाना अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत उद्योग;

(ख) प्राविधिक संस्था;

(ग) राज्य सरकार/निगम/उपक्रम;

(घ) केन्द्रीय सरकार/निगम/उपक्रम;

(ङ) स्थानीय निकाय;

(च) सरकारी विभाग:

परन्तु अंशकालिक पाठ्यक्रम में प्रवेश चाहने वाला कर्मचारी उपर्युक्त कन्सर्न में से किसी एक में प्राविधिक क्षेत्र में लगा हो।

(तीन) **अनुभव**–अग्रतर, अंशकालिक पाठ्यक्रम में प्रवेश चाहने वाला कर्मचारी प्रवेश के समय गत दो वर्षों से उपर्युक्त उप पैरा (दो) में यथा निर्दिष्ट सेवा में आवश्यक रूप से लगा हो। उपर्युक्त सेवा में दो वर्ष के अनुभव की गणना प्रवेश के कैलेण्डर वर्ष के 30 जून को की जायेगी:

परन्तु पात्रता के लिये न्यूनतम शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् प्राप्त अनुभव की ही गणना की जायेगी।

न्यूनतम शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण की अवधि की गणना अनुभव के लिये की जायेगी।

(चार) उपर्युक्त खण्ड (दो) और (तीन) में निर्धारित शर्तों के समर्थन में प्रमाण-पत्र तभी स्वीकार्य होगा यदि वह सेवायोजक द्वारा जारी किया जाय।

5—(क) वार्षिक आधार पर कक्षोन्नति द्वारा किसी पाठ्यक्रम के द्वितीय या तृतीय/अन्तिम वर्ष की कक्षाओं में सीधे प्रवेश की अनुज्ञा सिवाय इसके नहीं दी जायेगी कि अभ्यर्थी ने किसी भी संबद्ध संस्था में अध्ययन किया है और परिषद् द्वारा संचालित यथास्थिति, प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष की वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण की है, बशर्ते वह विनियम 25 के अधीन प्रवेश का पात्र हो और उसे विनियम 17 के अधीन अन्तरण के लिये अनुज्ञा दी जाय:

परन्तु द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/अन्तिम वर्ष की अगली उच्चतर कक्षा में प्रवेश शिक्षा सत्र के प्रारम्भ होने पर या प्रति वर्ष जुलाई के तीसरे सोमवार को, इनमें जो भी पहले हो, पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम की प्रतीक्षा किये बिना अनन्तिम रूप से दिया जायगा फिर भी सम्बन्धित पूर्ववर्ती कक्षा की परीक्षा के परिणाम की घोषणा के पश्चात् ही प्रवेश का अनुसमर्थन किया जायेगा:

परन्तु यह और कि कोई अभ्यर्थी अनन्तिम प्रवेश के लिये दावा नहीं कर सकेगा यदि वह अनुत्तीर्ण होता है और अगली उच्चतर कक्षा में कक्षोन्नति के लिये सुसंगत विनियम का समाधान नहीं करता।

(ख) सेमेस्टर आधार वाले किसी पाठ्यक्रम के द्वितीय/चतुर्थ/षष्ठ या तृतीय/पंचम सेमेस्टर में कक्षोन्नति द्वारा सीधे प्रवेश परिणाम की प्रतीक्षा किये बिना पूर्ववर्ती परीक्षा की समाप्ति के दसवें दिन या उसके पश्चात् किन्तु पन्द्रहवें दिन के पश्चात् नहीं अन्तिम रूप से किया जायेगा। प्रवेश का अनुसमर्थन सम्बन्धित पूर्ववर्ती कक्षा की परीक्षा के परिणाम की घोषणा के पश्चात् ही किया जायगा:

परन्तु कोई अभ्यर्थी अनन्तिम प्रवेश का दावा नहीं करेगा यदि वह अनुत्तीर्ण होता है और अगले उच्चतर सेमेस्टर में कक्षोन्नति के लिये सुसंगत विनियम का समाधान नहीं करता।

(ग) उपर्युक्त खंड (क) और (ख) के अनुसार, संचालित परीक्षा की समाप्ति के पश्चात् अगली उच्चतर कक्षा/सेमेस्टर में कक्षोन्नति और प्रविष्ट समस्त कक्षाओं/सेमेस्टरों के छात्रों की अगली उच्चतर कक्षा/सेमेस्टर के लिये उपस्थिति की गणना पूर्ववर्ती कक्षा/सेमेस्टर के परिणाम की घोषणा को ध्यान में रखते हुये, उनके सत्र/सेमेस्टर, जिसके कार्यक्रम को परिषद् ने अनुमोदित कर दिया हो, के प्रारम्भ के दिनांक से की जायगी।

(6) उच्चतर कक्षा/सेमेस्टर में कक्षोन्नति निम्नलिखित शर्तों पर की जायेगी–

(क) तीन वर्ष या अधिक की अवधि के लिये वार्षिक आधार पर चलाये जाने वाले पाठ्यक्रमों के लिये किसी अभ्यर्थी को यथास्थिति, द्वितीय या तृतीय या चतुर्थ वर्ष की कक्षा में प्रवेश (ज्वाइन) तभी दिया जायेगा जब वह क्रमशः प्रथम वर्ष और द्वितीय/तृतीय वर्ष में विहित समस्त विषयों को उत्तीर्ण कर ले या उसे विनियम 16 के अनुसार सत्र (टर्म) रखने की अनुमति दी जाय।

(ख) सेमेस्टर आधार पर चलाये जाने वाले पाठ्यक्रमों के लिये: किसी अभ्यर्थी को पांचवे या छठवें सेमेस्टर में सम्मिलित होने की अनुमति तभी दी जायेगी जब वह क्रमशः प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर में विहित समस्त विषयों को उत्तीर्ण कर लें।

न्यूनतम अर्हता

10—विभिन्न प्राद्यौगिक अभियंत्रण शाखाओं या अन्य पाठ्यक्रमों में किसी भी प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा या पोस्ट डिप्लोमा या पी०जी० डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष की कक्षा में प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थी को परिषद् द्वारा समय-समय पर यथा विहित न्यूनतम अर्हता, निम्नलिखित स्पष्टीकरण के अधीन होते हुये रखनी होगी। इस समय परिषद् द्वारा प्रवेश के लिये विहित न्यूनतम अर्हता अनुसूची चार में दी गयी है।

स्पष्टीकरण–(एक) (क) किसी अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिये अनुज्ञात अध्ययन के पाठ्यक्रम में प्रवेश के योग्य बनाने के प्रयोजनार्थ इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन बनाये गये और समय-समय पर यथा संशोधित नियमों के अधीन समतुल्य घोषित परीक्षा लेने वाले किसी निकाय से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी को प्रवेश के प्रयोजन के लिये माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की हाई स्कूल परीक्षा के समतुल्य समझा जायेगा।

माध्यमिक परिषदों के इण्टरमीडिएट प्रक्रमों पर किसी अन्य परीक्षा को भले ही उक्त अधिनियम के अधीन माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, द्वारा मान्यता प्राप्त हो, डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये प्राविधिक शिक्षा परिषद् को निर्देश करने की आवश्यकता होगी।

(ख) किसी अभ्यर्थी द्वारा किसी परिषद् से 10+2 परीक्षा की दसवीं कक्षा उत्तीर्ण कर लिये जाने और 10+2 योजना की हाई स्कूल या दसवीं कक्षा को समय-समय पर यथा संशोधित इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन समकक्ष मान्यता प्रदान किये जाने पर उसे डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के प्रयोजन के लिये समकक्ष समझा जायगा।

(दो) विज्ञान, जिसमें सामान्य विज्ञान और भौतिक विज्ञान सम्मिलित हैं।

(तीन) हाई स्कूल के पश्चात् विज्ञान और अंकगणित के साथ उत्तीर्ण पूर्व विश्वविद्यालय परीक्षा को यदि वह एक सार्वजनिक परीक्षा (पब्लिक इक्जामिनेशन) है, हाई स्कूल के बराबर माना जायेगा।

(चार) किसी तीन वर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम के भौतिक शास्त्र, रसायनशास्त्र और गणित के साथ बी०एस-सी० भाग-एक परीक्षा को यदि वह एक सार्वजनिक परीक्षा (पब्लिक इक्जामिनेशन) है, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित के साथ इण्टरमीडिएट परीक्षा के समतुल्य माना जायेगा।

(पांच) कृपांक, जो किसी अभ्यर्थी को परीक्षा लेने वाले किसी विशेष निकाय के नियमों के अधीन उत्तीर्ण होने के लिये उसे पात्र बनाने के लिये विषय (विषयों) या सम्पूर्ण योग में दिये जाय, सम्पूर्ण योग में या प्रवेश के लिये सम्पूर्ण अंकों के प्रतिशत की गणना करने में जोड़े नहीं जायेंगे।

(छः) भौतिकशास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित के साथ माध्यमिक परीक्षा के पश्चात् पूर्व-अभियन्त्रण परीक्षा को, यदि वह सार्वजनिक परीक्षा (पब्लिक इक्जामिनेशन) हो, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित के साथ इण्टरमीडिएट के बराबर समझा जायगा।

(सात) ऐसा अभ्यर्थी भी, जिसने अर्हकारी परीक्षा में विज्ञान या गणित या दोनों नहीं लिया है किन्तु यथाविहित अपेक्षित विषयों को लेकर उसी उच्चतर परीक्षा को उत्तीर्ण किया है, प्रवेश के लिये पात्र होगा।

(आठ) ऐसे अभ्यर्थी के सम्बन्ध में जिसने पूरक (कम्पार्टमेन्टल) अभ्यर्थी के रूप में अर्हकारी या उच्चतर परीक्षा उन्हीं विषयों को लेकर, जैसा विहित है, उत्तीर्ण की है, अंकों के प्रतिशत की गणना निम्नलिखित प्रकार से की जायेगी :–

अनुपूरक परीक्षा में ऐसे अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों को उसके द्वारा मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों में उस विषय में, जिसमें उसे अनुपूरक परीक्षा के लिये पात्र घोषित किया गया था, प्राप्त अंकों को निकालने के पश्चात् जोड़ दिया जायगा। इस प्रकार प्राप्त योग पर प्रतिशत निकालने के लिये विचार किया जायगा।

(नौ) परिषद् के अधीन किन्हीं पाठ्यक्रमों के लिये अपेक्षित न्यूनतम पात्र शैक्षिक अर्हता का सबूत सम्बन्धित सम्बद्ध संस्था के प्राचार्य को किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश चाहने के लिये संस्था द्वारा विहित अन्तिम दिनांक (दिनांकों) के पश्चात् नहीं और किसी भी दशा में प्रति वर्ष के 31 अगस्त के पश्चात् नहीं प्रस्तुत किया जायेगा।

प्रवेश के लिए आयु सीमा

11—**न्यूनतम अर्हता** (1) माध्यमिक प्राविधिक प्रमाण-पत्र और अंशकालिक पाठ्यक्रम से भिन्न समस्त डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र के लिये अभ्यर्थी की आयु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के मामले के सिवाय जिनके मामले में उच्चतर आयु सीमा तीन वर्ष से शिथिलनीय होगी, प्रवेश के कैलेण्डर वर्ष के 30 जून को इसे सम्मिलित करके 14 वर्ष से कम और 22 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

ऐसे अभ्यर्थियों के मामले में जो उद्योग द्वारा प्रायोजित हों और नियमित पाठ्यक्रमों में प्रवेश चाहते हों उच्चतर आयु सीमा बिना किसी सीमा के परीक्षा समिति द्वारा अग्रतर शिथिलनीय होगी। ऐसे मामलों को अभ्यर्थी से प्राप्त समर्थनकारी साक्ष्य के साथ अपनी संस्तुति सहित संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा अग्रसारित किया जायगा।

(2) बालिका अभ्यर्थियों के लिये कोई उच्चतर आयु सीमा नहीं होगी;

परन्तु अंशकालिक : डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिये या विभिन्न शाखाओं में नियमित स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में अभ्यर्थी के लिये कोई उच्चतर आयु सीमा नहीं होगी।

(3) अंशकालिक पाठ्यक्रमों मे प्रवेश के लिये न्यूनतम आयु प्रवेश के कलेन्डर वर्ष को 30 जून को उसे सम्मिलित करते हुए 21 वर्ष से कम नहीं होगी।

(4) अभ्यर्थी को विहित अध्ययन पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिये।

12—(1) माध्यमिक प्राविधिक प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष की कक्षा में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था की जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा या आठवीं कक्षा या माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा या माध्यमिक शिक्षा परिषद्; उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा हिन्दी, अंग्रेजी और गणित के साथ उत्तीर्ण होना चाहिये:

(2) प्रवेश के कैलेण्डर वर्ष के 30 जून को उसे सम्मिलित करके 13 वर्ष से कम और 16 वर्ष से अधिक की आयु का नहीं होना चाहिये:

परन्तु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियों के मामले में उपर्युक्त विहित उच्चतर आयु सीमा तीन वर्ष तक शिथिलनीय होगी:

परन्तु यह और कि अन्य योग्य अभ्यर्थियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा को प्रधानाचार्य द्वारा दो वर्ष तक शिथिल किया जा सकता है।

(3) प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिये।

13—**स्वीकृत सीटें**–(1) प्रत्येक कक्षा/सेमेस्टर और पाठ्यक्रम में सीटों की संख्या परिषद् द्वारा निर्धारित की जाएगी

(2) प्रथम वर्ष की कक्षा/प्रथम सेमेस्टर में स्वीकृत सीटों को किसी विशेष पाठ्यक्रम में रिपीटरों को स्थान देने के लिए दस प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। नया प्रवेश ऐसी सीमा तक प्रतिबन्धित होगा जिससे कि उन रिपीटरों को स्थान मिल जाय जो प्रवेश चाहते हों और इस प्रयोजन के लिए पात्र हो :

परन्तु निदेशक सीटों में ऐसी बढ़ोत्तरी के लिए आदेश दे सकता है जैसा किसी प्रवेश को नियमित करने के लिए आवश्यक पाया जाय और उसको सूचना एक सप्ताह के भीतर परिषद् को भेजी जायेगी।

(3) द्वितीय/तृतीय/अंतिम वर्ष की कक्षा/प्रथम या द्वितीय या तृतीय या चतुर्थ या पंचम या छठें सेमेस्टर के मामले में स्वीकृत सीटों में किसी वृद्धि की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी:

परन्तु कक्षा/सेमेस्टर के ऐसे समस्त रिपीटरों को जो इस विनियमावली के अधीन पुनः प्रवेश के लिए पात्र हो और निचली कक्षा से पदोन्नत छात्र को एक सीट दी जाएगी भले ही वह स्वीकृत सीटों की संख्या से अधिक हो जाय।

(4) ऐसी सीटों को जो कोलम्बो योजना या अन्य तत्सदृश्य सहायता मिशनों के अधीन भारत सरकार के नामितों के लिए अपेक्षित हो, उपविनियम (2) और (3) के अधीन नहीं गिना जायेगा और वे उसमें विहित सीमा से ऊपर और अधिक होंगे।

(5) किसी संस्था में चलाये जाने वाले अंशकालिक पाठ्यक्रम/ पाठ्यक्रमों में प्रवेश निम्नलिखित शर्तों पर होगी –

किसी संस्था में अंशकालिक पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश की अधिकतम संख्या साठ सीटों से अधिक या विशेष पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) में जिसमें प्रवेश किया (किये) जाने हो, को लेकर कुल इनटेक के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। फिर भी ड्राप आउट मामलों को ध्यान में रखते हुए दस प्रतिशत की वृद्धि अनुमन्य है:

परन्तु पाठ्यक्रमों के किसी शाखा में प्रवेश किये गये अभ्यर्थियों की संख्या उस विशेष शाखा में नियमित पाठ्यक्रमों के लिए स्वीकृत इनटेक से अधिक नहीं होगी। यदि उस विशेष शाखा में नियमित पाठ्यक्रम के लिए स्वीकृत इनटेक साठ से कम है।

(6) समस्त पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश नियम 9 के अधीन सर्वथा विहित आधार पर की जायेगी और समय-समय पर विभिन्न श्रेणियों के लिये सीटों के लिए आरक्षण के संबंध में राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा किये गये उपबन्धों के अधीन होगा। इस समय विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण अनुसूची पांच के अनुसार होगा।

माध्यमिक प्राविधिक प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम

14—**कक्षोन्नति**–माध्यमिक प्राविधिक प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम के संबंध में प्रथम वर्ष से द्वितीय वर्ष में और द्वितीय वर्ष से अंतिम वर्ष में कक्षोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अनुसार प्रधानाचार्य द्वारा की जाएगी और उसकी घोषणा की जाएगी :–

(क) किसी अभ्यर्थी को प्रथम या द्वितीय वर्ष की परीक्षा में उपस्थित नहीं होने दिया जाएगा जब तक कि उसने 75 प्रतिशत उपस्थित प्राप्त न कर ली हो:

परन्तु प्रधानाचार्य वास्तविक आधार पर जहां कि उसका समाधान हो जाय 5 प्रतिशत तक माफ कर सकता है:

परन्तु यह और कि उपस्थित की गणना सत्र के प्रारम्भ के दिनांक से लिखित परीक्षा के दिनांक के तीन सप्ताह पूर्व के दिनांक तक की जाएगी।

(ख) अंग्रेजी भाषा को छोड़कर समस्त भाषाओं में परीक्षा का माध्यम हिन्दी होगा।

(ग) किसी अभ्यर्थी को प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष को परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ घोषित नहीं किया जायेगा जब तक कि वह–

(एक) समूह 'क' के प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं करता:

परन्तु यह कि विज्ञान (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) विषय के छात्र को लिखित और प्रायोगिक में अलग-अलग न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त करना होगा जैसा माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा विहित है;

(दो) समूह "क" में कुल तैंतीस प्रतिशत अंक प्राप्त कर ले,

(तीन) समूह "ख" में प्रत्येक लिखित विषय (जिसमें सेशनल भी सम्मिलित है) में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त न कर लें;

(चार) समूह "ख" में प्रत्येक प्रायोगिक (जिसमें सेशनल भी सम्मिलित है।) कम से कम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त न कर लें।

(पांच) अनुशासन/एन०सी०सी०/खेलकूद अंकों के साथ-साथ और सम्मिलित करते हुए समूह "क" और समूह "ख" के समस्त लिखित, प्रायोगिक और सेशनलों में कुल कम से कम 45 प्रतिशत अंक न प्राप्त कर लें।

(घ) प्राविधिक शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, सुपात्र मामलों में उपर्युक्त किन्हीं शर्तों को शिथिल कर सकता है और उनकी सूचना एक सप्ताह के भीतर परिषद् को भेज दी जाएगी।

(ङ) प्रथम या द्वितीय कक्षा के छात्रों को पदोन्नति के संबंध में माध्यमिक प्राविधिक शिक्षा के प्रधानाचार्य के विनिश्चय की घोषणा प्रतिवर्ष विलम्बतम जून के अन्त तक की जाएगी और उपखण्ड (घ) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अंतिम होगी।

समूह "क"

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा हाई स्कूल (विज्ञान समूह) परीक्षा के लिए विहित समस्त विषय, अर्थात्–

(एक) हिन्दी, (दो) अंग्रेजी, (तीन) गणित, (चार) विज्ञान।

समूह-"ख"

व्यावसायिक व्यापारों में प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय परिषद् द्वारा "कर्मशाला संगणना और विज्ञान जिन्हें परिषद् की परीक्षा 1981 से "ग्रामीण प्रौद्योगिकी" विषय द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया है, के सिवाय किसी विशेष व्यवसाय के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परीक्षा के लिए विहित समस्त विषय अर्थात्–

(एक) व्यापार थ्यौरी, (दो) व्यापार प्रायोगिक, (तीन) कर्मशाला संगणना और विज्ञान, (चार) विनियम-5 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिषद् की परीक्षा में उपस्थित होने के लिए नियमित अभ्यर्थी की अभियंत्रण रेखांकन (ड्राइंग) पात्रता।

वार्षिक आधार पर चलने वाले पाठ्यक्रम

15—(1)–डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की वार्षिक परीक्षा के लिए अभ्यर्थी से इस विनियमावली के अधीन उसके लिए विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता को पूरा करने और कम से कम एक सत्र की अवधि के लिए परिषद् से सम्बद्ध किसी अभियंत्रण या प्रौद्योगिक संस्था में उपस्थित होने की अपेक्षा की जायेगी।

(2) डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम की द्वितीय वर्ष की वार्षिक परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों से परिषद् द्वारा संचालित प्रथम वर्ष की वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने और तत्पश्चात् कम से कम एक सत्र की अवधि के लिए परिषद् से सम्बद्ध किसी औद्योगिक या प्रौद्योगिक संस्था में उपस्थित होने की अपेक्षा की जाएगी।

(3) चार वर्ष की अवधि के अंशकालिक डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के मामले में अभ्यर्थी से तृतीय वर्ष की वार्षिक परीक्षा के लिए परिषद् द्वारा संचालित द्वितीय वर्ष की वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने और तत्पश्चात् कम से कम एक सत्र की अवधि के लिए परिषद् से सम्बद्ध किसी अभियंत्रण या प्रौद्योगिक संस्था में उपस्थित होने की अपेक्षा की जाएगी।

(4) डिप्लोमा पाठ्यक्रम की अंतिम परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों से परिषद् द्वारा संचालित तृतीय वर्ष की वार्षिक परीक्षाओं के, यथास्थिति प्रथम या द्वितीय वर्ष में उत्तीर्ण होने और तत्पश्चात् कम से कम एक सत्र की अवधि के लिए परिषद् से सम्बद्ध किसी अभियंत्रण या प्रौद्योगिक संस्था में उपस्थित होने की अपेक्षा की जाएगी।

(5) अंतिम माध्यमिक प्राविधिक प्रमाण-पत्र परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों से उसके लिए विहित शैक्षिक अर्हता रखने की अपेक्षा की जाएगी। परिषद् से सम्बद्ध किसी माध्यमिक प्राविधिक विद्यालय द्वारा संचालित द्वितीय वर्ष की वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने और तत्पश्चात् कम से कम एक सत्र की अवधि के लिए बोर्ड से सम्बद्ध माध्यमिक प्राविधिक विद्यालय में उपस्थित होने की अपेक्षा की जाएगी।

(6) पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम की अंतिम परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को आवश्यक अर्हता प्राप्त करना चाहिए जैसा कि समय-समय पर परिषद् द्वारा विहित की जाय और तत्पश्चात् कम से कम एक सत्र की अवधि के लिए उस पाठ्यक्रम में परिषद् से सम्बद्ध किसी अभियंत्रण संस्था में उपस्थित होना चाहिए।

बैक-पेपर

16—(1) डिप्लोमा/पोस्ट डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के अभ्यर्थियों को बैक पेपर से सम्बद्ध रखने की अनुमति दी जाएगी, परन्तु यह कि वह लिखित और/या व्यावहारिक दो विषयों से अधिक में अनुत्तीर्ण न हो।

(2) ऐसे अभ्यर्थी को भी यदि वह खण्ड (1) में दिये गये विषयों से अधिक विषयों में उत्तीर्ण नहीं हुआ है तो उसे बैक पेपर से संबद्ध रखने की अनुज्ञा दी जायेगी और अगले कक्षा/सेमेस्टर में पदोन्नति किया जायेगा, परन्तु यह कि–

(एक) कि उसने कुल 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों, और सेशनल कार्य में उत्तीर्ण रहा हो;

(दो) वह विनियम 9 के उपविनियम (6) की शर्तों को पूरा करता हो।

(3) प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष के ए० आई० आर० आर० (जिन्हें सम्बन्ध रखने की अनुज्ञा दी गयी हो) अभ्यर्थियों को अगले उच्चतर कक्षा में पदोन्नति किया जायेगा और उसे अगले उच्चतर कक्षा की सम्पूर्ण परीक्षा के साथ-साथ बैक पेपर (पेपरों) में आगामी वार्षिक परीक्षा में उपस्थित होना चाहिये फिर भी प्रथम वष की कक्षा के मामले में, "बैक पेपर" के लिए पात्र घोषित अभ्यर्थी परिषद् द्वारा संचालित होने वाले आगामी विशेष बैक पेपर परीक्षा में उपस्थित होंगे और जब तक कि वे ऐसे बैक पेपर (पेपरों) में

स्पष्ट रूप से उत्तीर्ण नहीं होते तब तक उन्हें डिप्लोमा नहीं दिया जायेगा।

(4) किसी कक्षा/सेमिस्टर में बैंक पेपरों की संख्या, बैक पेपरों की सीमा, जैसा उपर्युक्त उप विनियम (1) में दिया गया है, से अधिक नहीं होगी:

परन्तु अंतिम वर्ष की कक्षा में कक्षोन्नति किये जाने वाले अभ्यर्थी क्रमशः प्रथम वर्ष के एक या दो बैक पेपर, द्वितीय वर्ष के दो या एक बैक पेपर ले सकते हैं, किन्तु किसी भी दशा में वह प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष के दो बैक पेपर से अधिक ले सकेगा किन्तु उपर्युक्त उपविनियम (1) में दी गयी पात्रता सीमा से अधिक नहीं:

परन्तु यह और कि चार वर्षीय अंशकालिक/नियमित पाठ्यक्रम के तृतीय वर्ष के अभ्यर्थी भी प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष के दो बैक पेपरों से अधिक के लेने के हकदार नहीं होंगे। चार वर्षीय अंशकालिक/नियमित पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष के मामले में तृतीय वर्ष के बैक पेपर के साथ-साथ प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष के दो बैक पेपरों से अधिक की अनुमति, इस तरह से दी जाएगी कि अनुमति बैक पेपरों का योग उपविनियम (1) में दिये गये बैक पेपरों की पात्रता सीमा से अधिक न हो।

(5) ऐसे अभ्यर्थियों को जो "बैक पेपरों" को क्लीयर करने के पश्चात् अपनी अंतिम वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं मूल वार्षिक परीक्षा के जिसमें वे उपस्थित हुये और "बैक पेपरों" के लिए पात्र घोषित किये गये थे, के योग के आधार पर श्रेणी (डिवीजन) दी जायेगी। उनके डिप्लोमा में विनियम 16 के अधीन शब्द लिखे जायेंगे।

स्पष्टीकरणः—(क) जब कोई अभ्यर्थी पूर्ववर्ती निचली कक्षा के बैक पेपर (पेपरों) के साथ अगली उच्चतर कक्षा के आगामी वार्षिक परीक्षा में उपस्थित होता है तब—

(एक) बैक पेपर (पेपरों) विनियम 24 के अधीन कृपांक देने के लिए अगली उच्चतर कक्षा का भाग (के भाग) समझा जायेगा। जायेंगे, किन्तु कोई कृपांक नहीं दिया जायेगा, यदि अभ्यर्थी केवल बैक पेपर (पेपरों) में जैसी भी दशा हो, उपस्थित होता है। ऐसे मामले में उसे सम्बन्धित लिखित/व्यवहारिक परीक्षा के लिए विहित न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करना होगा।

(दो) उससे बैक पेपर में जिसमें वह सम्बन्धित लिखित/ व्यवहारिक के लिए विहित न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करता है, पुनः उपस्थित होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी, भले ही वह अगली उच्चतर कक्षा की आगामी परीक्षा में असफल हो जाय;

(ख) बैक पेपर इस विनियम के उपबन्धों के लिए एक अपेक्षा के रूप में समझा जायेगा/जायेंगे, अर्थात् अपेक्षाओं की संख्या जिसके अन्तर्गत पूर्ववर्ती निचली कक्षा के बैक पेपर और सम्पूर्ण लिखित पेपर और अगली उच्चतर कक्षा के प्रैक्टिकल भी हैं, उपर्युक्त उप विनियम (1) में दी गयी संख्या से अधिक नहीं होंगे;

(ग) यदि वर्ष की अंतिम परीक्षा का अभ्यर्थी बैक पेपर (पेपरों) का विशेषाधिकार अर्जित करता है और विनियम 22 या 25 के अधीन पूर्ण परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अन्यथा पात्र है तो उसे या तो केवल बैक पेपरों के या पूर्ण परीक्षा में उपस्थित होने का विकल्प होगा, पूर्ण परीक्षा का उसका परिणाम नियमों के अधीन जैसा है, घोषित किया जायेगा;

(घ) ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्होंने पूर्ण परीक्षा के लिए विकल्प किया है और विकल्प का प्रयोग किया है, पुनः विकल्प देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसे परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उसी रीति से गुजरना पड़ेगा।

(6) अंतिम वर्ष के ऐसे छात्र, जिनको केवल बैक पेपरों में उपस्थित होना है—

(एक) भी अवसरों की संख्या की सीमा के अधीन होंगे, जैसा कि विनियम 22 में दिया गया है, और

(दो) भी विनियम 25 के अनुसार वर्तमान योजना के अनुसार विषय (विषयों) में उपस्थित होना पड़ेगा, यदि पाठ्य विवरण में कोई परिवर्तन हों,या

(तीन) उसके समकक्ष विषय में उपस्थित होना पड़ेगा जैसा परिषद् द्वारा विनिश्चित किया गया हो।

(7) (ए० एम० ई०) एयर क्रैफ्ट मेन्टीनेन्स इंजीनियरिंग कोर्स में डिप्लोमा के अभ्यर्थियों को अगले सेमेस्टर में, कक्षोन्नति टर्म रखने की अनुमति दी जायेगी परन्तु एक लिखित अपेक्षा (थ्योरी रिक्वायरमेंट) विषय से अधिक को अगले सेमेस्टर में न ले जाय।

(8) ऐसे अभ्यर्थियों को, जो वार्षिक परीक्षा में उपस्थित हुये हों, केवल आगामी विशेष बैक परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जायगी।

17—(1) नीचे दी गयी शर्तों के अधीन रहते हुये, यथास्थिति, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ष का छात्र—

एक सम्बद्ध संस्था से ऐसी दूसरी सम्बद्ध संस्था में जो अध्ययन के उसी पाठ्यक्रम में शिक्षा देती हो जिसमें ऐसा छात्र पूर्ववर्ती संस्था में पढ़ रहा था, स्थानान्तरण की मांग कर सकता है।

(क) ऐसे अभ्यर्थियों की दशा में जिनके प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश किये गये हो, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद् केवल योग्यता के आधार पर संस्था के स्थानान्तरण का विनिश्चय करेगी। यह लाभ केवल उस वर्ष में दिया जायेगा जिसमें अभ्यर्थी को प्रवेश के लिये घोषित किया गया है।

(ख) ऐसे अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें व्यक्तिगत संस्था के स्तर पर योग्यता के आधार पर प्रवेश दिया जाय साधारणतया स्थानान्तरित नहीं किया जायगा।

(ग) द्वितीय तृतीय और अंतिम वर्ष के छात्रों की दशा में संस्था का प्राचार्य संस्था के स्थानान्तरण के लिये इच्छुक छात्रों से प्रवेश के अंतिम दिनांक के पश्चात् सात दिन के भीतर आवेदन पत्र प्राप्त करेगा। ऐसे छात्र अधिमान क्रम में तीन नाम दे सकते हैं। ऐसे आवेदनपत्रों को पूर्ववर्ती वर्षों में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को अग्रसारित किया जायगा और विभिन्न शाखाओं में रिक्त सीटों की संख्या भरने के पश्चात् उपर्युक्त दिनांक से एक सप्ताह के भीतर प्राविधिक शिक्षा निदेशालय को अग्रसारित किया जायगा बैंक पेपर के साथ उत्तीर्ण घोषित छात्र संस्था के स्थानान्तरण के पात्र नहीं होंगे।

(घ) प्रतिबन्ध यह है कि उस सम्बद्ध संस्था में जिसमें वह जाने का विचार करता है, एक सीट रिक्त होना चाहिये।

(ङ) किसी छात्र की शिक्षा सत्र के 15 नवम्बर के पश्चात् स्थानान्तरित होने को अनुमति नहीं दी जायेगी।

(2) उपस्थिति और सेशनल अंकों द्वारा अनुसूची दो में निर्दिष्ट अंतिम दिनांकों के सम्बन्ध में भी इस विनियम के अधीन प्रवास (ग्रेट) करने वाले छात्रों को किसी प्रकार के शिथिलीकरण की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(3) पूर्ववर्ती सम्बद्ध संस्था में प्रत्येक विषय में या उसमें प्राप्त व्यवहारिक और सेशनल अंकों द्वारा उपस्थिति ऐसे छात्रों की गणना सत्र के दौरान कुल उपस्थिति और सेशनल अंकों की संगणना करने के प्रयोजनार्थ की जायगी।

(4) उपविनियम (1 में निर्दिष्ट स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र में प्रत्येक विषय में छात्र द्वारा उपस्थिति और उसमें उसके द्वारा संस्था छोड़ने के दिनांक तक प्राप्त लिखित, व्यवहारिक और सेशनल अंक होंगे।

(5) ऐसी संस्था जिसमें छात्र स्थानान्तरण चाहता है, का प्रधानाचार्य उस संस्था के प्रधानाचार्य से जिससे छात्र का स्थानान्तरण किया जाय, स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र की एक सत्य प्रति प्राप्त करेगा और बाद में उसे यथा सम्भव शीघ्र किन्तु स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र के जारी किये जाने के पन्द्रहवें दिन के बाद नहीं भेजेगा।

(6) विनियम के अधीन छात्रों को स्थानान्तरण की अनुज्ञा देने वाले प्राधिकारी भी ऐसी अनुज्ञा की एक प्रति परिषद् के सचिव को भेजेगा।

18—सत्र–(1) परिषद् से सम्बद्ध अभियंत्रण या प्राविधिक सभागारों में सत्र निम्नलिखित प्रकार से होंगे :–

(क) वार्षिक आधार पर चलने वाले पाठ्यक्रमों के लिये–

(एक) प्रथम वर्ष की कक्षा के लिये –

प्रवेश परीक्षा के परिणामों की घोषणा के तीसवें दिनांक से आगामी वर्ष की 31 मई तक।

(दो) संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद् के कार्य क्षेत्र के अधीन आने वाले पाठ्यक्रमों से भिन्न पाठयक्रमों के लिये प्रवेश परीक्षा/योग्यता सूची की घोषणा के बीसवें दिनांक से आगामी वर्ष की 31 मई तक।

(तीन) चार वर्ष (अंशकालिक) पाठ्यक्रम और अंतिम वर्ष की कक्षाओं या पोस्ट डिप्लोमा के मामले में द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष के लिये या ऐसे छात्रों के लिये जिनका परिणाम नियम 28 के अनुसार घोषित किया जाय, प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष की कक्षाओं के परिणामों की घोषणा के पन्द्रहवें दिन से आगामी वर्ष के 31 मई तक :

परन्तु किसी संस्था को किसी सत्र में अध्ययन के चौबीस सप्ताह पूरा करना अपेक्षित है।

(ख) सेमेस्टर आधार पर चलाने वाले पाठ्यक्रमों के लिये –

(एक) प्रथम, तृतीय और पंचम सेमेस्टर के लिये –

कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से 15 नवम्बर तक।

(दो) (ख) द्वितीय, चतुर्थ और षष्टम सेमेस्टर के लिये –

प्रथम/तृतीय/पंचम सेमेस्टर की परीक्षा के पूर्ण होने के पश्चात् ग्यारहवां दिन से या प्रत्येक वर्ष दस दिसम्बर से, प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्येक सेमेस्टर में किसी संस्था से प्रशिक्षण के बारह सप्ताह पूरा करना अपेक्षित है।

(2) प्रशासनिक विभाग यदि अपेक्षित हो प्रशिक्षण को पहले ही पूरा करने के लिये छुट्टी/दीर्घावकाश के दिनों संस्था को खोले रह कर प्रशिक्षण के आवश्यक सप्ताहों को परीक्षा के प्रारम्भ के सात दिन पूर्व तक पूरा कर सकता है :

परन्तु प्रत्येक सत्र या सेमेस्टर में परीक्षा की तैयारी के लिये छात्रों को कम से कम सात दिन दिया जायगा :

परन्तु यह और कि एक दिन में प्रशिक्षण की नियमित अवधियों और पाठ्येत्तर गतिविधियों के उपरान्त आवंटित शून्य घंटों की अवधियों की संगणना, यदि अपेक्षित हो और यदि सम्भव हो, प्रशिक्षण के अपेक्षित सप्ताहों के पूरा होने की अपेक्षा के प्रति की जायेगी। ऐसे मामलों में संस्था का प्रधानाचार्य, निदेशक की अनुज्ञा मांगेगा और ऐसे अनुज्ञा यदि दी गई तो उसकी प्रति की सूचना परिषद् को भी दी जायेगी।

(3) (क) साधारणतया किसी सम्बद्ध संस्था में प्रथम वर्ष की कक्षा सेमेस्टर में कोई प्रवेश शिक्षा सत्र के प्रारम्भ के पश्चात् नहीं दिया जायगा। फिर भी आपवादिक मामलों में इसे संयुक्त प्रवेश परीक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा परिणामों की घोषणा के या विनियम 9 के अनुसार किसी संस्था द्वारा घोषित, यथास्थिति प्रवेश परीक्षा या योग्यतासूची की घोषणा के पैंतालीसवें दिन तक बढ़ाया जा सकता है।

(ख) ऐसा कोई अभ्यर्थी जो अनुत्तीर्ण हो और अन्यथा प्रथम वर्ष की कक्षा/सेमेस्टर में पुनः प्रवेश के लिये पात्र है, अपने सीट के लिये कोई दावा नहीं कर सकेगा जब तक कि वह स्वयं या लिखित रूप में पिछले वर्ष उपस्थित हुये सम्बद्ध संस्था के प्राचार्य को सत्र के प्रारम्भ के पूर्व रिपोर्ट न करें और नियमित छात्रों के प्रवेश के लिये विहित अंतिम दिनांक तक विहित फीस जमा न कर दें।

(4) समस्त सेमेस्टर कक्षाओं के छात्र उपर्युक्त उपविनियम (तीन) के खण्ड (ख) के अनुसार संचालित परीक्षा के पूरा होने के पश्चात् अगली उच्चतर कक्षा/सेमेस्टर में कक्षोन्नति किये जायेंगे और अगले उच्चतर कक्षा/सेमेस्टर में कक्षोन्नति किये जायेंगे और अगले उच्चतर कक्षा के लिये उनकी उपस्थिति की गणना उस सत्र के प्रारम्भ के दिनांक से की जायगी जिसकी अनुसूची सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हो।

19—सेशनल अंक–सेशनल कार्य जो विनियम 4 के अनुसार प्रशिक्षण के लिये पूर्वापेक्षा है, इसके अंक इस

विनियमावली में दी गयी किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, दिये जायेंगे और परिषद् को ऐसी रीति से, जैसी परिषद् समय-समय पर विहित करे, संसूचित किये जायेंगे।

(2) सेशनल अंक ऐसे विषयों, लिखित या व्यावहारिकों को आवंटित कुल अंकों में से पृथक विषय, लिखित या व्यावहारिक या परियोजन में दिये जायेंगे और परिषद् को संसूचित किये जायेंगे :

परन्तु यह विनियम माध्यमिक प्राविधिक प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम पर लागू नहीं होगा :

परन्तु यह और कि सेशनल अंक वास्तविक कक्षा कार्य और उपस्थिति, जो उस कक्षा के पाठ्यक्रमों के पाठ्यचर्या की पूर्वापेक्षा है, के आधार पर विनियम, 4, 5, 6 और अन्य सुसंगत विनियमों के अधीन किसी परीक्षा में उपस्थित होने के लिये दिये जा रहे हैं ऐसे अभ्यर्थी को बिना टर्म वर्क किये और उस कक्षा के पृथक विषयों में सेशनल में उत्तीर्ण हुये बिना कोई डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र नहीं दिया जायेगा।

(3) ऐसा अभ्यर्थी जो किसी विषय, लिखित या व्यावहारिक या परियोजना को आवंटित सेशनल अंकों का कम से कम 50 प्रतिशत प्राप्त करने में असफल रहता है, को परिषद् की परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायगी।

टिप्पणी– अभ्यर्थियों के अभिभावकों को सेशनल कार्य में अपने वार्डों की प्रगति को अभिनिश्चित करने के लिये सम्बद्ध संस्था के प्राधानाचार्य से सम्पर्क बनाये रखने की सलाह दी जाती है। किसी छात्र या अभिभावक को उपविनियम (3) के अधीन इस आधार पर देने या रोकने पर आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं होगा कि सम्बन्धित छात्र या अभिभावक को कोई संसूचना नहीं दी गयी थी।

(4) सेशनल अंक परिषद् द्वारा संचालित किसी परीक्षा में किसी विषय में प्राप्त अंकों में नहीं जोड़े जायेंगे किन्तु सीधे महा-योग या योग के जोड़े जायेंगे और उन पर डिवीजन के लिये विचार किया जायगा :

परन्तु विनियम माध्यमिक प्राविधिक प्रमाण-पत्र पर लागू नहीं होगा।

(5) सेशनल अंकों की संसूचना परिषद् को पूर्ण संख्याओं में दी जायेगी। जबकि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त सेशनल अंकों में भिन्नांक हैं, तो उन्हें अगले उच्चतर संख्या में पूर्णांकित किया जायेगा, जैसा $10\frac{1}{2}$ को 11 कर दिया जायगा।

(6) 50 प्रतिशत पर आधारित सेशनल कार्य में न्यूनतम उत्तीर्णांक का अवधारणा करने के लिये भिन्नांक, यदि कोई हो, अंक को पूर्ववर्ती पूर्णांक तक कम करके छोड़ दिया जायगा, जैसे $12\frac{1}{2}$ को 12 कर दिया जायगा जहां अधिकतम 25 हो।

अग्रेनीत किया जाना

20—(1) एक वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रमों से भिन्न वार्षिक आधार के अधीन डिप्लोमा पाठ्यक्रमों और माध्यमिक प्राविधिक प्रमाण-पत्र परीक्षा के लिये परीक्षा की योजना में अन्तिम वर्ष की कक्षा में अंकों को अग्रेनीत करने के लिये उपबन्ध निम्नलिखित सीमा तक होंगे :–

(क) तीन वर्षीय पाठ्यक्रम के मामलों में–प्रथम वर्ष के योग का 30 प्रतिशत और द्वितीय वर्ष के योग का 70 प्रतिशत

(ख) दो वर्षीय पाठ्यक्रम के मामले में– प्रथम वर्ष का 50 प्रतिशत।

(ग) चार वर्षीय पाठ्यक्रम और चार वर्षीय अंशकालिक पाठ्यक्रम के मामले में– प्रथम वर्ष के योग का 30 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष के योग का 30 प्रतिशत और तृतीय वर्ष के योग का 70 प्रतिशत।

(2) परिषद् द्वारा संचालित, यथास्थिति, प्रथम या द्वितीय वर्ष की वार्षिक परीक्षा के योग का 30 प्रतिशत या 70 प्रतिशत भिन्नांकों को, यदि कोई हो, अगली संख्या तक पूर्णांक करके तैयार किया जायगा।

(3) उपर्युक्त खण्ड (एक) और (दो) के अधीन अंकों को केवल उन परीक्षाओं के सम्बन्ध में अग्रेनीत किया जायगा जिनका संचालन परिषद् द्वारा 1960 से आगे किया गया है।

(4) विनियम 28 के अधीन किसी अन्य शाखा में किसी भिन्न परीक्षा में उपस्थित होने वाले किसी अभ्यर्थी को अंकों को अग्रेनीत किये जाने की अनुमति नहीं दी जायगी।

(5) सेमेस्टर आधार के अधीन डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिये परीक्षा की योजना में, अन्तिम वर्ष की कक्षाओं में अंकों को अग्रेनीत किये जाने के लिये उपबन्ध निम्नलिखित सीमा तक होगा :

(एक) प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर के योग का 50 प्रतिशत।

(दो) तृतीय, चतुर्थ और पंचम सेमेस्टर के योग का 100 प्रतिशत, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐरोनाटिकल मेन्टीनेन्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिये अग्रेनित किया जाना प्रयोज्य होगा जैसा परिषद् द्वारा डी० जी० सी० ए० की अपेक्षानुसार समय-समय पर विहित किया जाय।

21— अनुदेश और परीक्षा का माध्यम-सामान्य अंग्रेजी को छोड़कर जिसके शिक्षण और परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगी, अन्य समस्त पाठ्यक्रमों के शिक्षण और परीक्षा का माध्यम हिन्दी होगी तथापि पारिभाषिक शब्दों को अंग्रेजी में बनाये रखा जा सकता है।

किन्तु विद्यार्थियों को हिन्दी या अंग्रेजी में उत्तर देने का विकलप होगा।

अवसरों की संख्या

22—अवसर, जैसा नीचे दिया गया हैं, डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा, स्नातकोत्तर डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रमों की उत्तीर्ण करने के लिये अनुमन्य होंगे –

(एक) किसी अभ्यर्थी की प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष की परीक्षा अन्तिम वर्ष की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिये केवल तीन अवसर (जिसके अन्तर्गत नियमित और प्राइवेट दोनों है) दिये जायेंगे :

(दो) किसी अभ्यर्थी की प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अन्तिम वर्ष की परीक्षा (ए० एम० ई० पाठ्यक्रम को छोड़कर) की उत्तीर्ण करने के लिये नियमित अभ्यर्थी के रूप में उपस्थित होने के लिये केवल एक अवसर दिया जायेगा :

परन्तु अधिक से अधिक विनियम 25 (1) के अधीन व्यवस्थित अपवाद के अनुसार नियमित अभ्यर्थी के रूप में उपस्थित होने के लिये दो और नियमित अवसर तभी दिये जायेंगे जब –

(क) किसी अभ्यर्थी को उपस्थिति में कमी के कारण या सेशनलों में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त करने में असफल रहने के कारण किसी कक्षा में रोक लिया गया है;

(ख) किसी अभ्यर्थी की परीक्षा किसी परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग किये जाने के कारण विनियम 29 (1) के अधीन रद्द कर दी गयी हो और वह पुनः प्रवेश पाने की इच्छा रखता हो फिर भी प्राइवेट छात्र के मामले में पूर्ववर्ती वर्ष के उसके सेशनलों को अग्रणीत किया जायेगा;

(ग) कोई अभ्यर्थी बीमारी के कारण या उसके नियंत्रण के बाहर अन्य वास्तविक कारण से किसी परीक्षा में आंशिक या पूर्णरूप से उपस्थित होने में असमर्थ रहा हो;

(घ) पाठ्य विवरण में परिवर्तन हुआ हो;

किसी भी अभ्यर्थी को उस कक्षा में जिसमें वह असफल घोषित किया गया था, पुनः प्रवेश लेना होगा।

(तीन) एक अवसर गिना जायगा यदि अभ्यर्थी का नाम किसी सम्बद्ध संस्था के रजिस्टर पर उस कलेण्डर वर्ष के जिसमें वह ज्वाइन करता है 30 दिसम्बर के बाद इस तथ्य के होते हुये भी बना रहे कि वह परीक्षा में उपस्थित हुआ था या नहीं (जिसके अन्तर्गत उपस्थिति में कमी या सेशनल कार्य में पचास प्रतिशत अंकों को प्राप्त करने में असफल रहने के कारण या अनुचित साधनों का प्रयोग किये जाने के कारण किसी परीक्षा को रद्द करने के कारण रोक लिये जाने के मामले भी है):

परन्तु विनियम 25 के अधीन प्राइवेट अभ्यर्थी के रूप में उपस्थिति को एक अवसर के रूप में गिना जायगा और यह कि ऐसे अवसरों का लाभ बिना किसी अन्तराल के क्रमिक रूप में उठाया जाय।

(चार) किसी अभ्यर्थी को पाठ्यक्रम की निरन्तरता बनाये रखना होगा और किसी भी परिस्थिति में अपने सम्यक् अवसर को लेने में कोई गैप या ब्रेक किसी भी मामले में दो वर्ष से अधिक नहीं होगा। अन्तिम वर्ष की कक्षा में असफल होने के मामले में, भी गैप या ब्रेक तीन वर्ष से अधिक नहीं होगा:

परन्तु ऐसे बालिका अभ्यर्थी के मामले में, जिसमें अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण बीच में ही अपने अध्ययन को छोड़ दिया है और यदि वह बाद में अध्ययन के अपने पाठ्यक्रम को पूरा करना चाहती है तो उसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुये, विशेष परिस्थितियों के अधीन अपने अध्ययन को जारी रखने की अनुमति दी जायगी कि –

(क) सम्बन्धित बालिका अभ्यर्थी ने अपनी पूर्ववर्ती वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो,

(ख) अध्ययन में गैप/ब्रेक छः वर्ष से अधिक नहीं होगा,

(ग) पाठ्य विवरण के वृहद् पुनरीक्षण के मामले में, ऐसे अभ्यर्थी को पुनरीक्षित पाठ्य विवरण पूरा करने के लिये विशेष कक्षाओं में उपस्थित होना पड़ेगा जिसके पश्चात् ही वह आगामी परीक्षा में उपस्थित होने के लिये पात्र होगी,

(घ) सम्बन्धित बालिका अभ्यर्थी संस्था में अध्ययन की अवधि के दौरान अनुशासनहीनता की दोषी न पाई गई हो।

(पांच) यदि कोई छात्र पुनः उपस्थिति प्राप्त करता है तो उसे परीक्षा में प्राइवेट रूप से या नियमित छात्र के रूप में उपस्थित होने का विकल्प होगा किन्तु जब वह एक बार नियमित छात्र के रूप में ज्वाइन करता है तब उसे प्राइवेट अभ्यर्थी के रूप में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी,

(छः) ए० एम० ई० पाठ्यक्रम करने वाले अभ्यर्थी को केवल पाठ्यक्रम की विशिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम सेमेस्टर उत्तीर्ण करने के लिये नियमित अभ्यर्थी के रूप में उपस्थित होने के लिये केवल एक और अवसर दिया जायगा :

परन्तु द्वितीय अवसर में भी अनुत्तीर्ण घोषित किये गये अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) को कोई और अवसर नहीं दिया जायेगा।

न्यूनतम प्रतिशत

23—(1) अन्तिम फार्मेसी परीक्षा और अन्तिम माध्यमिक प्राविधिक प्रमाण-पत्र परीक्षा से भिन्न डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र परीक्षा में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ घोषित किया जायेगा, यदि वह –

(क) प्रत्येक लिखित विषय में लिखित परीक्षा में कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है;

(ख) प्रत्येक व्यवहारिक परीक्षा में कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है :

(ग) प्रत्येक विषय, लिखित/व्यवहारिक/परियोजना में कम से कम 50 प्रतिशत सेशनल अंक प्राप्त करता है;

(घ) कुल योग में कम से कम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है।

(2) अन्तिम माध्यमिक प्राविधिक प्रमाण-पत्र परीक्षा से भिन्न अन्तिम डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र परीक्षा में ऐसा कोई सफल अभ्यर्थी जो कम से कम –

(क) योग में कुल अंकों का 66 प्रतिशत प्राप्त करता है, प्रथम श्रेणी (डिवीजन) में रखा जायगा।

(ख) कुल अंकों का 45 प्रतिशत किन्तु योग में कुल अंकों का 66 प्रतिशत से कम से कम प्राप्त करता है, द्वितीय श्रेणी में रखा जायेगा।

(ग) अन्तिम डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र/विशेष बैक पेपर परीक्षा के सफल अभ्यर्थी को पूर्ववर्ती वार्षिक परीक्षा में प्राप्त उसके कुल योग के आधार पर श्रेणी दी जायेगी।

(घ) कुल योग में 80 प्रतिशत या इससे अधिक पाने वाले अभ्यर्थी को "आनर्स" दिया जायेगा।

(3) प्रथम या द्वितीय वर्ष की वार्षिक या विशेष बैक पेपर परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को ही उत्तीर्ण घोषित किया जायेगा।

(4) अन्तिम माध्यमिक प्राविधिक प्रमाण-पत्र परीक्षा में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ घोषित किया जायगा यदि वह –

(क) समूह "क" के प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है:

परन्तु विज्ञान विषय (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) में अभ्यर्थी को लिखित (थ्यौरी) और व्यावहारिक (प्रैक्टिकल) अलग-अलग न्यूनतम पास अंक प्राप्त करना होगा जैसा कि माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा विहित है।

(ख) समूह "क" के योग में कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है।

(ग) समूह "ख" में प्रत्येक प्रैक्टिकल (जिसमें सेशनल भी सम्मिलित है) कम से कम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है।

(घ) समूह "क" और "ख" के समस्त लिखित (थ्यौरी), व्यावहारिक (प्रैक्टिकल) और सेशनलों के योग में जिसमें अनुशासन/एन० सी० सी०/खेल-कूद के अंक भी सम्मिलित है, कम से कम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है।

(5) अंतिम माध्यमिक प्राविधिक प्रमाण-पत्र परीक्षा में –

(क) योग में कुल अंकों का 66 प्रतिशत पाने वाले सफल अभ्यर्थियों को प्रथम श्रेणी में रखा जायगा।

(ख) कुल अंकों का 45 प्रतिशत किन्तु योग में कुल अंकों का 66 प्रतिशत से कम से कम अंक पाने वाले सफल अभ्यर्थी को द्वितीय श्रेणी में रखा जायगा।

(ग) अन्तिम माध्यमिक प्राविधिक प्रमाण-पत्र, विशेष बैक पेपर परीक्षा के सफल अभ्यर्थी को पूर्ववर्ती वार्षिक परीक्षा में प्राप्त योग के आधार पर श्रेणी दी जायेगी।

(घ) लिखित (थ्यौरी) विषय में 75 प्रतिशत या इससे अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को (लिखित थ्यौरी) विषय में डिस्टिंकशन दिया जायगा।

(6) डिप्लोमा फार्मेसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ घोषित किया जायगा यदि वह –

(एक) अंग्रेजी में कम से कम 33 प्रतिशत अंक और प्रत्येक शेष विषयों में अलग-अलग लिखित परीक्षाओं (जिसके अन्तर्गत सेशनल अभिलेख भी है) और प्रत्येक विषय में प्रैक्टिकल परीक्षणों (जिसके अन्तर्गत सेशनल अभिलेख भी है) में कम से कम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है।

(दो) किसी विषय या विषयों में 75 प्रतिशत अंक या इससे अधिक पाने वाले अभ्यर्थी को उस विषय या उन विषयों में डिस्टिंकशन प्राप्त किया घोषित किया जायगा;

प्रतिबन्ध यह है कि वह उस परीक्षा में सभी विषयों में उत्तीर्ण हो।

(7) एयर क्रैफ्ट मेन्टीनेन्स इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में डिप्लोमा में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी को–

(एक) प्रत्येक थ्यौरी के विषयों और प्रैक्टिकल के विषयों में उपस्थित होना पड़ेगा और प्रत्येक विषय में अलग-अलग उत्तीर्ण होना पड़ेगा;

(दो) थ्यौरी विषयों में आब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों का एक सेक्शन और ऐसे टाइप प्रश्नों का दूसरा सेक्शन होगा। जो पृथक पृथक 60 प्रतिशत और 40 प्रतिशत उत्तीर्ण अंक के होंगे।

(क) सेक्शन "क" में अर्थात् क्विज टाइप प्रश्नों में न्यूनतम 70 प्रतिशत उत्तीर्णांक प्राप्त करना होगा।

(ख) सेक्शन "ख" में अर्थात ऐसे टाइप प्रश्न में न्यूनतम 60 प्रतिशत उत्तीर्णांक प्राप्त करना होगा।

(तीन) कोई परीक्षा उत्तीर्ण हुआ घोषित किया जायगा यदि वह प्रत्येक पेपर में पृथक-पृथक न्यूनतम 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है।

(चार) किसी छात्र के जिसे कम से कम एक विषय में पुनःउपस्थित होना हो, बैक पेपर देना हो अनुवर्ती परीक्षा में उसे क्वालीफाई करने के लिये उस विषय में 80 प्रतिशत प्राप्त करना होगा।

कृपांक

24—(एक) कृपांक आगे दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए किसी अभ्यर्थी को दिये जा सकते हैं प्रतिबन्ध यह है कि उसे ऐसा अंक देने में वह परीक्षा उत्तीर्ण करने योग्य हो:

(दो) दो से अधिक विषयों में कृपांक नहीं दिये जायेंगे।

(तीन) कुल मिलाकर दस से अधिक कृपांक नहीं दिये जायेंगे।

अवधेय सीमा – प्रत्येक विषय में कृपांक उस विषय के जिसमें कृपांक दिये जायं अधिकतम अंकों के दस प्रतिशत से अधिक अंक नहीं होंगे,

(चार) कोई कृपांक विशेष बैक पेपर परीक्षा में नहीं दिये जायेंगे:

(पांच) इस प्रकार दिये गये कृपांक का तात्पर्य संबंधित अंकों में कमी को क्षमा करना है और वास्तव में प्राप्त अंकों या उसके योग के परिवर्तन करने के लिये नहीं। इस प्रकार ये डिवीजन/आनर्स की गणना करने के लिये नहीं जोड़े जायेंगे।

(छः) किसी अभ्यर्थी की योग्यताक्रम ऐसे कृपांक के देने से प्रभावित नहीं होगा।

(सात) कोई कृपांक सुसंगत लाइसेन्स की परीक्षा में उपस्थित होने के लिये नागरिक उड्डयन निदेशालय की पूर्व अपेक्षा के रूप में एयर क्रैफ्ट मेंटीनेन्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा परीक्षा में नहीं दिये जायेंगे।

प्राइवेट अभ्यर्थी

25—(1) नियमित अवसर (अवसरों) का फायदा उठाने के पश्चात् प्रत्येक अभ्यर्थी को विनियम 22 (दो) (क) (ख) और (ग) में और विनियम 16 में अतिरिक्त नियम में यथा-निर्धारित उपबन्ध के अधीन के सिवाय द्वितीय अवसर में प्राइवेट अभ्यर्थी के रूप में उपस्थित होना पड़ेगा।

(2) निम्नलिखित उपबन्ध के अधीन रहते हुए प्राइवेट अभ्यर्थी को समस्त थ्यौरी परीक्षा में पुनः उपस्थित होना पड़ेगा। प्रैक्टिकल परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त उत्तीर्ण अंक और पूर्ववर्ती परीक्षा में जिसमें वह उपस्थित हुआ और केवल थ्यौरी पेपर में असफल हो गया थ्यौरी परियोजना और प्रैक्टिकल में सेशनल कार्य के लिये प्राप्त अंक केवल कुल योग और डिवीजन निकालने के लिये अग्रेणीत किये जायेंगे:

परन्तु किसी अभ्यर्थी को जो पूर्ववर्ती परीक्षा में किन्हीं प्रैक्टिकल परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हो गया हो उसको समस्त थ्यौरी परीक्षाओं के साथ-साथ समस्त प्रैक्टिकल परीक्षा, में भी पुनः उपस्थित होना पड़ेगा।

(3) किसी अभ्यर्थी को इसमें आगे दी गयी शर्तों पर प्राइवेट अभ्यर्थी के रूप में उपस्थित होने की अनुमति दी जायेगी :–

(क) कि वह विहित प्रपत्र पर अंतिम उपस्थित संस्था के प्राचार्य के माध्यम से इस प्रयोजन के लिये विहित दिनांक के भीतर विहित फीस के साथ-साथ अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है;

(ख) कि उससे परीक्षा की उस योजना के अनुसार जो केवल उस समय नियमित अभ्यर्थियों के लिये प्रचलित हो, उपस्थित होने की अपेक्षा की जायगी।

स्पष्टीकरण – परिषद् द्वारा डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र देने के लिये यह समझा जायगा कि वह नियमित अभ्यर्थी के रूप में उपस्थित हुआ है।

परीक्षा परिणाम

26—(1) परीक्षा का परिणाम प्रेस के माध्यम से घोषित किया जायगा और उत्तर प्रदेश गजट में प्रकाशित भी किया जायगा। सम्बद्ध संस्था से संबंधित परिणाम पत्र की एक प्रति संस्थाओं के प्रधानाचार्यों को उनके अभिलेख के लिये और अभ्यर्थी को विस्तृत अंकपत्र जारी करने के लिये भेजी जायेगी।

(2) इस प्रकार भेजे गये परिणाम-पत्र की संवीक्षा परिणाम-पत्र की प्राप्ति से अधिक से अधिक 15 दिन के भीतर संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा की जायगी और विनियम 23 के अनुसार यदि परिणाम की पोस्टिंग के संबंध में कोई कमी देखी जाय तो किसी अभ्यर्थी के संबंध में कुल योग सेशनल अंकों की अग्रणीत पोस्टिंग डिवीजन आनर्स या विशिष्टता के दिये जाने की सूचना उसके द्वारा संबंधित अभ्यर्थी को अंक पत्र जारी करने के पूर्व स्पष्टीकरण के लिये सचिव को भेजी जायेगी।

(3) ऐसे किसी मामले में जिसमें किसी परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाय और ऐसा परिणाम किसी गलती द्वारा (उनको छोड़कर जो अनाचार, कपट या अनुचित आचरण के अन्तर्गत आते हों) प्रभावित हो ऐसे मामलों को परीक्षा समिति के समक्ष रखा जायगा। परीक्षा समिति के विनिश्चय के अनुसार परिषद् के सचिव को ऐसी रीति से जैसी सही स्थिति के अनुसार होगी ऐसे परिणाम में संशोधन करने की शक्ति होगी।

(4) फिर भी परिणामों की घोषणा के दिनांक से छः माह के पश्चात् या वार्षिक सेमेस्टर योजना के अधीन अगली परीक्षा के प्रारम्भ होने के पश्चात् जो भी पहले हो किसी परिणाम का संशोधन नहीं किया जायगा:

परन्तु परीक्षा का परिणाम परीक्षा के परिणामों की घोषणा के दिनांक से 90 दिन की समाप्ति के पश्चात् परिषद् के किसी वास्तविक गलती के आधार पर रद्द नहीं किया जायगा:

परन्तु यह और कि आन्तरिक निर्धारण अंक (संस्था द्वारा एक बार संसूचित और परिषद् द्वारा स्वीकार किये गये सेशनल, खेलकूद, अनुशासन, में परिणामों की घोषणा के पश्चात् परिवर्तन नहीं किया जायेगा। ऐसे किसी मामले में जिसमें किसी परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया हो और यह पाया जाय कि ऐसा परिणाम किसी अनाचार, कपट द्वारा या किसी अन्य अनुचित आचरण द्वारा प्रभावित हुआ हो जिसके कारण अभ्यर्थी को लाभ हुआ हो और ऐसे मामलों में ऐसे अनाचार, कपट और अनुचित आचरण में पार्टी रहा हो या उसका संसर्गी रहा हो, परिषद् को परीक्षा समिति के समक्ष संवीक्षा के लिये रखा जायेगा। परीक्षा समिति को किसी भी समय, किसी डिप्लोमा/पोस्ट डिप्लोमा स्नातकोत्तर डिप्लोमा/कोई अन्य डिप्लोमा दिये जाने के बावजूद ऐसे अभ्यर्थियों के परिणाम का संशोधन करने की शक्ति होगी और ऐसी घोषणा कर सकती है जैसी इस निमित्त आवश्यक समझी जाय।

डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र

27—(1) परिषद् द्वारा विहित प्रपत्र पर जिस पर अध्यक्ष के और सचिव हस्ताक्षर (फैसीमाइल स्टाम्प) होंगे, डिप्लोमा का प्रमाण-पत्र संबंधित संस्थाओं के माध्यम से ऐसे अभ्यर्थी को जारी किया जायगा जिसे अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया हो, परन्तु कोई नया डिप्लोमा किसी अभ्यर्थी को जारी नहीं किया जायगा जो विनियम 28 के अधीन परीक्षा उत्तीर्ण करता है किन्तु ऐसे मामले में पृष्ठांकन स्वयं मूल डिप्लोमा पर किया जायगा।

(2) डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र संबंधित संस्था के प्राचार्य को यथा संभव अगले 31 मार्च तक संबंधित अभ्यर्थी को जारी किये जाने के लिये भेजा जायेगा।

(3) डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र की प्राप्ति होने तक अभ्यर्थी उस संस्था के जिससे वह परिषद् द्वारा प्रपत्र पर उत्तीर्ण हुआ, प्राचार्य अस्थायी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार जारी किया गया अस्थायी प्रमाण-पत्र उस दिनांक से विधिमान्य नहीं होगा जब से वह उप-विनियम (1) के अधीन परिषद् द्वारा डिप्लोमा प्रमाण-पत्र प्राप्त करता है।

(4) उस वर्ष के, जिसमें उसने परीक्षा उत्तीर्ण की या परिषद् से डिप्लोमा प्राप्त किया 30 जून से पांच वर्ष के पश्चात् किसी

अभ्यर्थी द्वारा दावा न किया गया डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र प्राचार्य द्वारा परिषद् को वापस कर दिया जायगा :-

परन्तु संबंधित संस्था का प्राचार्य संस्था के अभिलेख में उपलब्ध स्थायी पते पर अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के संसूचित करने का आवश्यक और वास्तविक प्रयास करेगा।

(5) प्राचार्य द्वारा परिषद् को वापस किया गया दावा न किया गया डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र अभ्यर्थी द्वारा और विहित फीस के भुगतान पर और परिषद् द्वारा विहित रीति से प्राप्त किया जा सकेगा।

(6) डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति अभ्यर्थी द्वारा आवेदन किये जाने पर निम्नलिखित शर्तों पर विहित फीस का भुगतान करने पर और परिषद् द्वारा विहित रीति से प्राप्त किया जा सकता है –

(क) खो जाने या नष्ट हो जाने वाले डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र के मामले में,

(ख) ऐसे डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र के मामलों में जो गन्दे हो गये हों या विरुपित या कटे, फटे हो गया हो और जब्त कर लिये जाने के कारण परिषद् को अभ्यर्पित कर दिया गया हो;

(ग) ऐसे डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र के मामले में जिसकी प्रविष्टियां धुंधली हो गयी हो किन्तु जो अन्यथा अक्षुण्ण हो और रद्द करने के लिये परिषद् को अभ्यर्पित कर दिया जाय।

उन अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा जो अभियंत्रण या प्रोद्योगिकी की एक शाखा में डिप्लोमा परीक्षा पहले ही उत्तीर्ण हो चुके हों।

28— ऐसा अभ्यर्थी जिसने पाठ्यक्रम की किसी एक शाखा में डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो –

तीन वर्ष की अवधि के सिविल इंजीनियरिंग या विद्युत इंजीनियरिंग या यांत्रिक इंजीनियरिंग या अन्य इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में :–

(एक) सिविल अभियंत्रण या विद्युत अभियंत्रण या यांत्रिक अभियंत्रण या अन्य अभियंत्रण पाठ्यक्रमों के मामलों में वह किसी सम्बद्ध संस्था में द्वितीय वर्ष की कक्षा में जिसमें वह क्वालीफाई करना पाठ्यक्रम में सीटों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए चाहता है :

परन्तु प्राविधिक शिक्षा निदेशक ऐसी सम्बद्ध संस्थाओं के नाम विनिर्दिष्ट करेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये सीटों की संख्या उस सम्बद्ध संस्था में पाठ्यक्रम की उस शाखा के इनटेक के ऊपर दस प्रतिशत तक उपलब्ध कराई जायेगी :

परन्तु यह और कि अभियंत्रण की उस शाखा में अभ्यर्थियों का प्रवेश ऐसे प्रयोजन के लिये संचालित प्रवेश परीक्षा की योग्यता के आधार पर किया जायेगा।

(दो) कि वह आवश्यक उपस्थिति पूरी करता है और संतोषजनक ढंग से विहित पाठ्यक्रम पूरा करता है।

(तीन) ऐसे अभ्यर्थियों को उन विषयों में छूट दी जायेगी जो उस शाखा के जिसमें वह पहले ही क्वालीफाई कर चुका हो और उस शाखा के जिसमें वह अब क्वालीफाई करना चाहता है। प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और/या अंतिम वर्ष में कामन हो :

परन्तु अभ्यर्थी को द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के विषयों के अतिरिक्त जिसमें वह प्रवेश चाहता हो। प्रथम वर्ष के उन विषयों में क्वालीफाई करना होगा जो डिप्लोमा के उस शाखा में कामन नहीं थे जिसे उसने पहले ही क्वालीफाई कर लिया है।

(चार) पूर्ववर्ती परीक्षा के अंकों को ऐसे मामलों में अग्रेनीत नहीं किया जायगा।

(पांच) ऐसा अभ्यर्थी विनियम 23 के अधीन विहित न्यूनतम पूर्णांक अपने द्वारा प्राप्त करने के अधीन रहते हुए उत्तीर्ण घोषित किया जायगा और न तो ऐसे मामलों में कुल योग निकाला जायेगा और न डिवीजन दिया जायगा। केवल "पी" (उत्तीर्ण के लिये) ऐसे अभ्यर्थी को दिया जायगा।

(छः) कोई पृथक डिप्लोमा ऐसे अभ्यर्थी को नहीं दिया जायगा, किन्तु यह स्पष्ट करते हुए कि अभ्यर्थी उस विशेष पाठ्यक्रम में भी उत्तीर्ण हो चुका है, उसकी पहले से दिये गये डिप्लोमा पर पृष्ठांकन किया जायगा।

(सात) कोई अभ्यर्थी जिसने अन्य परिषदों से डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और इस परिषद् से "क्रैश प्रोग्राम" की योजना के अधीन डिप्लोमा उत्तीर्ण करता है, सिविल इंजीनियरिंग में जिसके लिये क्रैश प्रोग्राम स्थापित किया गया था, पृथक डिप्लोमा दिया जायगा।

(आठ) ऐसा अभ्यर्थी जो तीन वर्ष के अवधि के सिविल/विद्युत/यांत्रिक/इलेक्ट्रानिक अभियंत्रण या अन्य अभियंत्रण पाठ्यक्रम में पाठ्यक्रम की किसी एक शाखा में डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया हो, अभियंत्रण के किसी अन्य शाखा में डिवीजन के उपबन्ध के साथ नया डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र प्राप्त करना चाहता हो, केवल ऐसे केन्द्रों पर और ऐसे पाठ्यक्रमों में जैसा परिषद् द्वारा समय-समय पर विहित किया जाय, पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में नया प्रवेश लेना होगा और सभी वर्षों में इस बात के होते हुए भी कि उसने पाठ्य विवरण का कुछ विषय (विषयों) को पहले ही उत्तीर्ण कर लिया है उसी विषयों में अध्ययन करना होगा।

अनुचित साधनों का प्रयोग और अनुशासनिक कार्यवाही

29—(1) यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करता हुआ पाया जाय तो निरीक्षक (इनविजिलेटर) केन्द्र के अधीक्षक को ऐसे मामले की रिपोर्ट करेगा। लिखित स्पष्टीकरण विहित आरोप-पत्र पर ऐसे परीक्षार्थी से प्राप्त किया जायगा और केन्द्र का अधीक्षक समस्त संबंधित पत्रादि को जिसके अन्तर्गत उत्तर पुस्तिका और सामग्री (सामग्रियों) भी है अपने कब्जे में रखेगा किन्तु उसको एक नयी उत्तर पुस्तिका देने के पश्चात् बाकी परीक्षा में उपस्थित होने के लिये उसे अनुज्ञा देगा। केन्द्र का अधीक्षक तत्पश्चात् तुरन्त साक्ष्य के पूरे ब्योरे के साथ और परिषद् के अनुदेश के साथ सचिव को मामले की रिपोर्ट करेगा जो उसे आवश्यक कार्यवाही के लिये परीक्षा समिति के समक्ष रखेगा।

(2) यदि कोई अभ्यर्थी लिखित स्पष्टीकरण देने से इन्कार करता है तो उसके इन्कार किये जाने का तथ्य अधीक्षक द्वारा

अभिलिखित किया जायगा, जो घटना के समय ड्यूटी पर अंतिम दो इनविजिलेटरों द्वारा साक्षित होगा।

(3) यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष/हाल के अन्दर या बाहर परीक्षा अवधि के दौरान किसी अन्य व्यक्ति से बातचीत करता हुआ पाया जाय तो अधीक्षक दोनों अभ्यर्थियों और इनविजिलेटर के कथन को अभिलिखित करेगा और उसे अपनी टीका टिप्पणी के साथ परिषद् के सचिव को भेजेगा।

(4) अपने कपड़े, शरीर, मेज या टेबल या यन्त्र जैसे लाइन रूल, सेट स्क्वायर्स, प्रोटैक्टर्स या स्केलों आदि के किसी भाग पर लिखित नोटों से नकल करते हुए अभ्यर्थी को जो अपने पास पाये गये किसी नोट या कागज को निगल जाने या नष्ट करने का दोषी हो या किसी व्यक्ति से बातचीत करता हो या परीक्षा हाल के बाहर मूत्रालय/एम० सी० को आते समय या जाते समय नोटों या पुस्तिकाओं से कन्सल्ट कर रहा हो, अनुचित साधनों का उपयोग करता हुआ समझा जायेगा और खण्ड (घ) में यथा प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी।

(5) यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा हाल छोड़ने के पूर्व परिवेक्षीय स्टाफ को उत्तर पुस्तिका देने में असफल रहता है तो अधीक्षक पूर्ण साक्ष्य के साथ मामले की रिपोर्ट संबंधित पुलिस थाने में करेगा और एक पृथक मोहरबन्द आवरण में परिषद् के सचिव को एक रिपोर्ट भी भेजी जायेगी।

(6) यदि कोई अभ्यर्थी अनुचित साधनों का प्रयोग करता हुआ पाया जाय, जिसके अन्तर्गत ऐसा अभ्यर्थी भी है जो –

(क) परीक्षा के प्रारम्भ के पूर्व या उसके दौरान सोख्ते पर/मेज/ड्राइंग उपकरण/डेस्क स्लिप/एडमीशन कार्ड/ कागज के किसी अन्य टुक्ड़े/प्रश्नपत्र पर पेपर में दिये गये प्रश्न के किसी हल को पूर्ण रूप से लिखता है; या

(ख) परीक्षा की अवधि के दौरान पेपर में दिये गये प्रश्न या प्रश्नों की एक प्रति या कोई हल/उसके पूर्ण या अपूर्ण उत्तर की एक प्रति किसी अन्य व्यक्ति को पास करने का दोषी पाया जाय; या

(ग) स्टाफ के किसी सदस्य या किसी बाहरी अभिकरण के मौनानुकूलता के माध्यम से पूर्ण या अपूर्ण हल के कब्जे में पाया जाय ; या

(घ) किसी उत्तर पुस्तिका/कन्टीनुवेशन सीट को बाहर ले आकर या बाहर भेजने का प्रबन्ध कर या बाहर भेज कर स्मगलिंग करने का दोषी पाया जाय, या

(ङ) अपमानजनक या अश्लील भाषा प्रयोग करने या परीक्षक को लिखित रूप से या किसी साधन द्वारा प्रभावित करने का दोषी पाया जाय ;

(च) किसी प्रकार का अप्राधिकृत परचा/नोट बुक या किसी अन्य सामग्री को जो उसके जेब में हो या उसके पास हो या डेस्क सीट के अन्दर या बाहर हो, अधिकार में रखने का दोषी पाया जाय तो उसे अनुचित साधन का प्रयोग समझा जायगा और ऐसी स्थिति में परीक्षा केन्द्र का अधीक्षक उप-विनियम (1) के अनुसार कार्यवाही करेगा।

(छः) उप-विनियम (2) से (5) और ऊपर दिये गये खण्ड (क) से (च) के अन्तर्गत न आने वाले अनुचित साधनों का प्रयोग करने का दोषी पाया जाय।

(7) किसी परीक्षक को यह पता लगे कि किसी अभ्यर्थी ने परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग किया है तो वह इस मामले की रिपोर्ट सचिव को तुरन्त करेगा जो उसे आवश्यक कार्यवाही के लिये परीक्षा समिति के समक्ष रखेगा।

(8) जहां सचिव को किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई रिपोर्ट प्राप्त हो या ऊपर उप-विनियम (1) और (6) में निर्दिष्ट स्रोत से भिन्न किसी स्रोत से उसके द्वारा अनुचित साधन के प्रयोग के संबंध में अनुदेश प्राप्त हो तो सचिव उस संस्था के ऐसे अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को देखने के लिये विशेषज्ञों की संवीक्षा समिति नियुक्त कर सकता है और विशेषज्ञों की संवीक्षा समिति यदि नियुक्त की गई हो, की रिपोर्ट के साथ मामले को आवश्यक कार्यवाही के लिये परीक्षा समिति के समक्ष रखेगा।

(9) प्रतिरूपण से बचने के लिए, बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले नियमित और व्यक्तिगत सभी अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जायेगी कि उनके पास प्रवेश-पत्र हो और उनका अपना पहचान-पत्र हो जिस पर पास-पोर्ट आकार का चित्र चिपका हो और जिस संस्था से वह संबंधित है उसके प्रधानाचार्य द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित हो।

(10) प्रतिरूपण के सभी मामलों को, उस प्रमाण के साथ, जिससे इस निष्कर्ष पर पहुंचे, अधीक्षक द्वारा स्थानीय पुलिस को रिपोर्ट किया जायगा और मामले को बोर्ड के सचिव को भी निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(11) किसी अभ्यर्थी को, जो परीक्षा केन्द्र/कक्ष के अधीक्षक/निरीक्षक की आज्ञा पालन करने से मना करता है और किसी अन्य अभ्यर्थी से अपना स्थान बदलता है और/या जानबूझकर किसी अन्य अभ्यर्थी का अनुक्रमांक अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखता है और/या परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करता है, और/या अन्यथा परीक्षा हाल में दुर्व्यवहार करता है, अधीक्षक द्वारा परीक्षा हाल से बाहर कर दिया जायगा और पूर्ण अभिलिखित कारणों के साथ रिपोर्ट सहित उसकी उत्तर पुस्तिका को पृथकतः सचिव को भेजा जायेगा। यदि अभ्यर्थी परीक्षा संचालन में बाधा करना जारी रखे तो सचिव स्वयं पर प्रत्यायोजित मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेगा और तद्नुसार कार्यवाही करेगा।

(12) किसी अभ्यर्थी ने अनुशासनहीनता का कार्य किया है जिसके अन्तर्गत केन्द्र अधीक्षक और/या निरीक्षक या परीक्षा के संचालन से संबंधित किसी कर्मचारी पर ऐसी परीक्षा/ऐसी परीक्षा के परीक्षाफल की घोषणा के प्रारम्भ से पूर्व और समाप्ति से ठीक दो मास की अवधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का शारीरिक आक्रमण भी है, को अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (1) और (2) के अधीन अपराध समझा जायगा। उचित और पूर्ण प्रमाण के साथ मामले को सचिव को रिपोर्ट किया जायेगा और तत्पश्चात् मामले (लों) को परीक्षा समिति के समक्ष रखा जायगा।

(13) उपर्युक्त सभी मामलों में और उन मामलों में जहां किसी परीक्षार्थी ने किसी तथ्य को छिपाया है या अपने आवेदन-

पत्र में मिथ्या विवरण देता है या परीक्षा में अनुचित प्रवेश पाने के लिये नियमों का उल्लंघन किया है या परीक्षा में धोखा (जिसके अन्तर्गत प्रतिरूपण भी है) किया है या नैतिक अपराध, अनुशासनहीनता का दोषी है, वहां परीक्षा समिति उस मामले में दिए जाने वाले दण्ड को निर्धारित करेगी और परीक्षा समिति का विनिश्चय अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) और उपधारा (1-क) के खण्ड (एक) के उपखण्ड (ङ) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अंतिम होगा।

समिति शास्ति दे सकती है, जो निम्नलिखित में से एक या अधिक हो सकती है :–

(1) उत्तीर्ण परीक्षा के डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र को वापस लेना;

(2) परीक्षा का निरस्तीकरण;

(3) भावी परीक्षा से निष्कासन;

(4) उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र को वापस लेना या पश्चात्वर्ती परीक्षा का निरस्तीकरण या उससे निष्कासन जिसके अन्तर्गत बोर्ड की उच्चतर परीक्षा भी है;

(5) विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा के प्रत्येक विषय में प्राप्त अंकों में से 40 प्रतिशत तक कटौती करना।

(14) परीक्षा समिति/परीक्षाफल समिति जांच होने तक ऐसे मामलों में, जहां अनुचित साधन का प्रयोग किया गया है या प्रयास किया गया है या प्रयोग किए जाने या प्रयास किए जाने का संदेह है, ऐसे अभ्यर्थी के परीक्षाफल को रोक सकती है।

(15) यदि परीक्षा/परीक्षाफल समिति की राय में अभ्यर्थी को अनुचित साधन का प्रयोग किया हुआ पाया जाय या अनुचित साधन प्रयोग करने का संदेह हो, चाहे केन्द्र अधीक्षक/परीक्षा द्वारा रिपोर्ट की गई हो या नहीं या किसी तथ्य को छिपाया है या किसी परीक्षा में अनुचित प्रवेश पाने के लिये अपने आवेदन-प्रपत्रों या नियमों में मिथ्या विवरण दिया है या परीक्षा में धोखा (जिसके अन्तर्गत प्रतिरूपण भी है)। किया है/या या नैतिक अपराध या अनुशासनहीनता का दोषी है/या परीक्षा/परीक्षाफल समिति जाँच होने तक उसका परीक्षाफल रोक सकती है और ऊपर उल्लिखित दण्डों में से एक या अधिक दण्ड दे सकती है।

(16) दण्ड की अवधि के दौरान ऐसे अभ्यर्थी किसी भी संस्था/परीक्षा में निम्न/उच्च सेमैस्टर/वर्ष में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होंगे।

(17) यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा समिति के विनिश्चय के विरुद्ध विधि न्यायालय में अपील करना चाहता है तो वह परीक्षा समिति के विनिश्चय के दिनांक से 90 दिन के भीतर लखनऊ की अधिकारिता के अधीन रहते हुए ऐसा कर सकता/सकती है।

संवीक्षा प्रक्रिया

30—(1) कोई अभ्यर्थी जो बोर्ड द्वारा संचालित किसी परीक्षा में प्रविष्ट हुआ है, किसी लिखित विषय के अपने अंकों की संवीक्षा के लिये सचिव को सीधे आवेदन कर सकता है।

(2) ऐसा कोई आवेदन सम्बन्धित संस्था से प्राप्य विहित प्रपत्र पर किया जाना चाहिये और अनुसूची तीन में विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

(3) ऐसे सभी आवेदनों के साथ ऐसी फीस जो बोर्ड द्वारा विहित की जाय, होनी चाहिये। ऐसी फीस का भुगतान सचिव, प्रौद्योगिक शिक्षा बोर्ड, लखनऊ को देय बैंक ड्राफ्ट को माध्यम से किया जायगा, या कोषागार में जमा की जायगी। पश्चात्वर्ती स्थिति में कोषागार चालान की एक प्रति बोर्ड के सचिव को भेजी जायगी। भारतीय पोस्टल आर्डर, धनादेश या नकद भुगतान स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(4) कोई भी अभ्यर्थी संवीक्षा फीस को वापस पाने का हकदार नहीं होगा, जब तक संवीक्षा के परिणामस्वरूप उसके परीक्षाफल को प्रभावित करने वाली त्रुटि का पता न चले।

(5) संवीक्षा समाप्ति के पश्चात् संवीक्षा के सभी मामलों का परिणाम अभ्यर्थी को सूचित किया जायगा, ऐसे मामलों में किसी अन्य पत्र व्यवहार पर ध्यान नहीं दिया जायगा।

(6) संवीक्षा के कार्य में अभ्यर्थी की पुनः परीक्षा या उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है। इसमें यह संवीक्षा करना है कि क्या किसी एक प्रश्न पर दिये गये अंकों को उद्वाह करने में या उनका योग करने में या कुल प्राप्तांकों को भरने में कोई त्रुटि हुई है या क्या किसी प्रश्न या उसके भाग पर अंक देने में कोई भूल हुई है।

(7) संवीक्षा के कार्य में ऐसे विषय सम्मिलित नहीं है जिनकी मौखिक या प्रयोगात्मक या दोनों प्रकार से परीक्षा या मौखिक परीक्षा में, या जाब वर्क या परियोजना आदि में होती है।

अंक-पत्र

31—(1) प्रत्येक विषय, लिखित या प्रयोगात्मक में प्राप्त अंकों को प्रदर्शित करने वाला अंकपत्र सम्बन्धित संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा (अनुसूची एक में विहित फीस के भुगतान पर) अभ्यर्थी को दिया जायगा। इस फीस को प्रत्येक अभ्यर्थी से परीक्षा फीस के साथ लिया जायगा।

(2) यदि किसी अभ्यर्थी को अपने अंक-पत्र के योग, उद्वाह, सत्रांक को भरने श्रेणी सम्मान या विशेष योग्यता में किसी विसंगति का पता लगे तो वह परीक्षाफल के घोषित होने के दिनांक से एक मास से अनधिक की अवधि के भीतर अपनी संस्था के प्रधानाचार्य के माध्यम से सचिव, प्रौद्योगिक शिक्षा बोर्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उसके लिये आवेदन करेगा और वह ऐसे आवेदन की एक प्रति को उसी अवधि के भीतर रजिस्टर्ड डाक से बोर्ड के कार्यालय को भी भेजेगा।

(3) अंक-पत्र संस्था में परीक्षाफल की प्राप्ति से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर अभ्यर्थी को दिया जायगा, परन्तु यह कि यदि किसी अभ्यर्थी के परीक्षाफल में संस्था के प्रधानाचार्य को किसी विसंगति का पता लगे तो उसे अंक-पत्र नहीं दिया जायगा और स्पष्टीकरण के लिये मामला बोर्ड को निर्दिष्ट किया जायगा और ऐसे स्पष्टीकरण के प्राप्त होने के पश्चात् अभ्यर्थी को आवश्यक अंक-पत्र दिया जायगा।

(4) अंक-पत्र की द्वितीय प्रति, यदि अपेक्षिक हो, अनुसूची एक में यथा विनिर्दिष्ट विहित फीस के, जो कोषागार चालान या बैंक ड्राफ्ट द्वारा बोर्ड में जमा की जायगी, भुगतान करने पर संस्था के प्रधान द्वारा अभ्यर्थी को दी जायगी।

फीस की वापसी

32—(1) निम्नलिखित मामलों के सिवाय एक बार भुगतान की गई फीस को वापस नहीं किया जायगा :–

(क) परीक्षा के पूर्व अभ्यर्थी की मृत्यु के मामले में।

(ख) ऐसे अभ्यर्थी के मामले में जिसे आगामी परीक्षा के लिये विहित फीस का भुगतान करने के पश्चात् संवीक्षा या उसके रुके हुये परीक्षाफल के रिलीज होने के परिणामस्वरूप उत्तीर्ण घोषित किया जाय।

(ग) ऐसे अभ्यर्थी के मामले में जिसमें विनियम 33 के अधीन उसकी फीस को स्थगित करने की सूचना समय से प्राप्त न होने के कारण पुनः फीस जमा की हो।

(घ) उस अभ्यर्थी के मामले में जिसका आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा अस्वीकार कर दिया जाय।

स्पष्टीकरण – इस नियम में, "फीस" का तात्पर्य केवल परीक्षा फीस से है और उसके अन्तर्गत प्राप्तांकों का विवरण प्राप्त करने के लिये जमा की जाने वाली फीस नहीं है।

(2) फीस की वापसी के लिये आवेदन-पत्र विहित प्रपत्र पर प्राप्त किया जायगा यदि अनुसूची तीन में विनिर्दिष्ट समय के भीतर संस्था के प्रधानाचार्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जायेगा।

फीस को स्थगित करना

33—(1) अनुसूची तीन में विहित समय के भीतर और ऐसे प्रपत्र पर जैसा बोर्ड विहित करे इन निमित्त दिये गये आवेदन-पत्र पर बोर्ड किसी अभ्यर्थी को जो किसी परीक्षा में नहीं बैठा था, निम्नलिखित शर्तों पर उसकी फीस को स्थगित करके ठीक आगामी परीक्षा में प्रवेश दे सकता है :–

(क) कि विनियम 5 के अधीन सम्बद्ध संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा अभ्यर्थी को रोका गया था;

(ख) कि अभ्यर्थी परीक्षा के समय अत्यधिक रुग्ण था, यह तथ्य रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी के प्रमाण-पत्र से सम्यक् रूप से समर्थित हो।

(2) एक बार स्थगित की गयी फीस को एक बार पुनः स्थगित नहीं किया जायगा।

स्पष्टीकरण – (क) परीक्षा (लिखित या प्रयोगात्मक) के किसी भाग में बैठना इस नियम के अधीन पूर्ण परीक्षा में बैठना समझा जायगा।

(ख) फीस का तात्पर्य केवल "परीक्षा फीस" से है।

34— अभ्यर्थी से परीक्षा और अन्य फीस अनुसूची। में दी गयी दरों के अनुसार ली जानी चाहिये।

एक साथ अन्य परीक्षा में बैठना

35—(1) किसी भी अभ्यर्थी को, जो बोर्ड की किसी परीक्षा में बैठ रहा है, प्रतियोगी परीक्षा या व्यवसायिक निकायों के द्वारा संचालित परीक्षा के सिवाय जैसे कि ऐसोसिएट मेम्बर आफ दि इंस्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स (अभियन्ता संस्था का सहयुक्त सदस्य) आदि के, जिसके लिये किसी संस्था में अध्ययन का कोई नियमित पाठ्यक्रम विहित नहीं है, एक साथ किसी अन्य परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(2) उपविनियम (1) के अधीन अनुज्ञेय परीक्षा में किसी अभ्यर्थी को बैठने के लिये समायोजित करने या सुविधा देने के लिये बोर्ड की परीक्षा के दिनांक में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

अग्रसारण अधिकारी और आवेदन-पत्र

36—(1) नियमित अभ्यर्थी के लिये बोर्ड की परीक्षा में प्रवेश के लिये आवेदन-पत्र संस्था के प्रधानाचार्य से प्राप्त होंगे, जो उसके लिये अग्रसारण अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। व्यक्तिगत अभ्यर्थी के रूप में बैठने का अभिप्राय वाला अभ्यर्थी उस संस्था के जिसमें वह अन्तिम बार उपस्थित रहा, प्रधानाचार्य से आवेदन-पत्र प्राप्त करेगा, जो उसका अग्रसारण अधिकारी होगा। सम्यक् रूप से भरे हुये और प्रत्येक दृष्टि से पूर्ण विहित फीस के साथ आवेदन-पत्र की अनुसूची दो में उल्लिखित दिनांक तक अग्रसारण अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिये। किसी दृष्टि से अपूर्ण आवेदन-पत्र बोर्ड अस्वीकार किये जाने योग्य होगा।

(2) अग्रसारण अधिकारी अनुसूची दो में विहित विशिष्ट अंतिम दिनांक तक प्रत्येक दृष्टि से सम्यक् रूप से पूर्ण आवेदन-पत्र को प्राप्त करने के पश्चात् अभ्यर्थी की पात्रता और तथ्यों के भी सम्बन्ध में भली प्रकार जांच करायेगा कि किसी स्तम्भ को खाली नहीं छोड़ा गया है या कांट-छांट पर, यदि कोई हो, सम्यक् हस्ताक्षर है या कोई भी अपेक्षित संलग्नक गुम नहीं है और निम्न प्रकार कार्यवाही करेगा :

(क) प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिये पृथक-पृथक पाठ्यक्रम के अनुसार छांटेगा।

(ख) हिन्दी शब्दकोश के अनुसार वर्णमाला क्रम में प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिये प्रपत्र रखेगा, व्यक्तिगत अभ्यर्थी के प्रपत्र प्रत्येक पाठ्यक्रम में नियमतः नियमित अभ्यर्थियों के प्रपत्र के बाद रखे जायेंगे।

(ग) वर्णमाला क्रम में प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिये पृथक पृथक तीन प्रतियों में (दो प्रतियां बोर्ड को भेजी जायेगी और तीसरी प्रति अपने कार्यालय में रखी जायेगी) नामावली तैयार की जाय।

(घ) अनुसूची दो में विहित अंतिम दिनांक से विलम्बतम् 20 दिन के भीतर सचिव, प्रौद्योगिक शिक्षा बोर्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को समस्त प्रपत्र और नामावली अग्रसारित करना।

(ङ) आवेदन-पत्रों की संख्या पर ध्यान न देते हुये प्रत्येक पाठ्यक्रम के अनुसार रु० 100 प्रतिदिन का अतिरिक्त विलम्ब फीस संस्था द्वारा देय होगी। यदि कोई संस्था देय दिनांक तक बोर्ड में आवेदन-पत्र और फीस प्रस्तुत करने में विफल रहती है, अधिकतम् दो सप्ताह इस प्रकार विलम्ब से प्रस्तुत करने के लिये

अनुमन्य होंगे और इस दिनांक के अवसान के पश्चात् किसी भी आवेदन-पत्र को बोर्ड की परीक्षा समिति के अनुमोदन के सिवाय स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(च) परिषद् द्वारा आवेदन-पत्र और फीस की स्वीकृति हो जाने पर भी परीक्षा में आवेदक का कार्य/परीक्षाफल निरस्त कर दिया जायगा, यदि बाद में यह पता लगे कि आवेदक उक्त वर्ष में प्रवेश के लिये और उक्त परीक्षा में प्रवेश के लिये अर्ह नहीं था और अग्रेतर सम्बन्धित प्रधानाचार्य और कर्मचारी वर्ग आवेदक के गलत प्रमाणीकरण के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी होगा।

स्पष्टीकरण

(एक) जहां किसी प्रयोजन के लिये अंतिम दिनांक विहित कर दिया गया है और उस प्रयोजन के लिये फीस भी विहित कर दी गयी है, वहां फीस की यथास्थिति कोषागार में या बैंक ड्राफ्ट से उस प्रयोजन के लिये इस प्रकार अवधारित दिनांक तक जमा किया जाना चाहिये।

(दो) जब किसी मास में कोई दिन कोषागारों में सार्वजनिक सव्यवहार के लिये पूर्ण कार्य दिवस न हो तो अधिकारण अधिकारियों को उस दिन एकत्रित फीस को ठीक आगामी कार्य दिवस को सरकारी कोषागार में जमा करने की अनुज्ञा दी जाती है।

(तीन) यदि ऊपर उल्लिखित अंतिम दिनांक रविवार या राजपत्रित अवकाश के दिन पड़ता है तो ठीक आगामी दिनांक उस विशिष्ट दिनांक के सम्बन्ध में अंतिम दिनांक समझा जायगा। संस्थायें जो बोर्ड की परीक्षाओं में प्रवेश के लिये आवेदन-पत्रों के प्रस्तुतीकरण की समय अनुसूची का अनुपालन नहीं करती हैं–

(क) सरकारी संस्थाओं की स्थिति में परीक्षा समिति द्वारा उचित समझे गये किसी अन्य दण्ड के अतिरिक्त प्रत्येक विलम्ब दिवस के लिये व्यतिक्रमी व्यक्तियों पर 100 रुपया प्रतिदिन का अर्थ दण्ड लगाया जायगा।

(ख) सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं की स्थिति में ऐसी संस्थाओं को, प्रत्येक विलम्ब दिवस के लिये 100 रुपया का प्रतिदिन का अर्थ दण्ड का भुगतान करना पड़ेगा तथा अनुदान के निरोध और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित समझे गये किसी अन्य कार्यवाही का सामना करने के लिये उत्तरदायी होगी।

(ग) उन संस्थाओं के सम्बन्ध में, जो ऊपर उल्लिखित श्रेणियों में नहीं आती है–

प्रत्येक विलम्ब दिवस के लिये 100 रुपया प्रतिदिन अर्थ दण्ड का भुगतान करना पड़ेगा तथा अन्य उचित कार्यवाही जिसमें प्रौद्योगिक शिक्षा बोर्ड, उत्तर प्रदेश से संस्था को असम्बद्ध करना भी है, की उत्तरदायी होगी।

परीक्षाओं से सम्बन्धित अन्य नियम

37—(1) परिषद् की लिखित परीक्षा सभी केन्द्रों पर एक साथ और साधारणतः शैक्षिक वर्ष के अप्रैल मास में की जायगी।

(2) प्रयोगात्मक परीक्षा के दिनांकों को प्रयोगात्मक परीक्षक से परामर्श करके संस्थाओं के सम्बन्धित प्रधानाचार्यों द्वारा अंतिम रूप दिया जायगा और साधारणतः लिखित परीक्षा से या तो पहले या ठीक पश्चात् की जायगी। प्रयोगात्मक परीक्षा साधारणतः प्रत्येक संस्था में की जायगी परन्तु यह कि विशेष बैक पेपर की स्थिति में, परीक्षा एक या अधिक केन्द्रों पर की जा सकती है।

38—(1) संस्था के प्रधानाचार्य से यह अपेक्षा की जायगी कि वह प्रत्येक वर्ष विलम्बतम् 31 अगस्त तक अभ्यर्थियों की संख्या जिसके प्रत्येक कक्षा और पाठ्यक्रम में ठीक आगामी परिषद् की परीक्षा में बैठने की सम्भावना है, सचिव को सूचित करें।

(2) प्रयोगात्मक/लिखित परीक्षा में, जो भी पहले हो, उसके प्रारम्भ से कम से कम एक मास पूर्व संस्था का प्रधानाचार्य एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि अभ्यर्थियों को पूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ा दिया गया है और प्रैक्टिकल और एक्सपेरीमेंट वास्तव में पूर्ण किये गये हैं और संस्था में छात्रों द्वारा जनरल्स परियोजना/रूपांकन कार्य आदि संतोषजनक रूप से पूर्ण किया गया है।

परीक्षा केन्द्र में प्रविष्टि

39—(1) परीक्षा प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी अभ्यर्थी को परीक्षा हाल में प्रवेश करने की अनुज्ञा नहीं दी जायगी। फिर भी केन्द्र का अधीक्षक अपने विवेक से किसी अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति दे सकता है। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा प्रारम्भ होने के आधा घण्टे के भीतर स्वयं को रिपोर्ट करता है।

(2) अधीक्षक/निरीक्षक/उड़नदस्ता/प्रेक्षक परीक्षा हाल के अन्दर या बाहर परीक्षा के प्रारम्भ होने से पहले या दौरान परीक्षार्थी से उसकी तलाशी लेने के लिये कह सकता है।

(3) अधीक्षक/निरीक्षक के मांगने पर परीक्षार्थी से अपना प्रवेश-पत्र दिखाने को कह सकता है और परीक्षा हाल/केन्द्र में उसके प्रवेश को मना कर सकता है यदि विना विधिमान्य कारणों के उसके पास अपना प्रवेश-पत्र नहीं है और उसे प्रतिरूपण के कार्य का संदेह हो या पता लगे।

(4) किसी भी अभ्यर्थी को साधारणतः प्रश्न-पत्र की पूर्ण अवधि के अवसान से पूर्व अंतिम रूप से परीक्षा हाल छोड़ने की अनुमति नहीं दी जायगी :

परन्तु केन्द्र अधीक्षक किसी अभ्यर्थी को अनुमति दे सकता है, जिसने अपना प्रश्न-पत्र पूर्ण कर लिया है या अन्य संतोषजनक आधारों पर अंतिम आधा घंटे के भीतर परीक्षा हाल छोड़ने की अनुमति दे सकता है।

परीक्षार्थियों का अभिलेख सुरक्षित रखना

40—(1) अभ्यर्थियों की उत्तर-पुस्तिकायें परीक्षाफल घोषित होने के दिनांक से छः मास की अवधि तक सुरक्षित रखी रहेगी। उन अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकायें, जिन्होंने परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग किया है, दो वर्ष की अवधि तक रखी जायगी।

(2) प्रयोगात्मक परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा तैयार किया गया कार्य सम्बद्ध संस्था के प्रधानाचार्यों द्वारा रख लिया जायगा और विशेष परीक्षा की स्थिति में केन्द्र अधीक्षक द्वारा

परीक्षा वर्ष के 31 दिसम्बर तक अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायगा। व्यक्तिगत अभ्यर्थियों के मामले में प्रधानाचार्य के लिये यह बाध्यकारी होगा कि वह उनके कार्य/परियोजना/सत्र कार्य आदि को उस अवधि तक रखे जब तक अभ्यर्थी उत्तीर्ण न हो जाय।

(3) अधिनिर्णय सूचियां/सत्रांक सूचियां परीक्षाफल के घोषित होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् नष्ट कर दी जायगी।

प्रवेश-पत्र और उन्हें प्राप्त करने की प्रक्रिया

41—(1) सचिव के हस्ताक्षर (अनुकृति स्टाम्प) से प्रत्येक अभ्यर्थी को, जिसे रोका न जाय और जो परिषद् की परीक्षा में प्रवेश की शर्तें पूर्ण करता है और जिसे परीक्षा में बैठने के लिये अनुमति दी जाती है, एक प्रवेश-पत्र दिया जायगा; परन्तु

(एक) मुख्य परीक्षा के लिये प्रवेश-पत्र संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जायगा।

(दो) प्रयोगात्मक परीक्षा के लिये प्रवेश-पत्र बोर्ड द्वारा विहित प्रपत्र पर प्रयोगात्मक परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों की पहचान के लिये प्रधानाचार्य द्वारा दिया जायगा:

परन्तु यह और कि विशेष बैक परीक्षा के लिये प्रवेश-पत्र केन्द्र अधीक्षक द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी से उसकी अपनी संस्था के प्रधानाचार्य से पहचान-पत्र प्रस्तुत करने पर दिया जायगा।

(2) सम्बन्धित अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश-पत्र परीक्षा के प्रारम्भ से कम से कम 24 घण्टे पूर्व कार्य दिवस में प्राप्त किया जायगा।

(3) जब भी मांगा जाय, प्रत्येक अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र केन्द्र अधीक्षक या निरीक्षक या उड़नदस्ता या प्रेक्षक को दिखायेगा।

(4) केन्द्र अधीक्षक, यदि उसका समाधान हो जाय कि किसी अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश-पत्र गुम हो गया है या नष्ट हो गया है, उस अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र की द्वितीय प्रति अनुसूची एक में यथा विनिर्दिष्ट विहित फीस के भुगतान पर देगा जिसे, यथास्थिति, बैंक ड्राफ्ट या कोषागार चालान के माध्यम से केन्द्र अधीक्षक बोर्ड के सचिव के पास जमा करेगा।

निष्कासन या निर्वासन

42—(1) इन नियमों में दी गई किसी बात के होते हुये भी किसी अभ्यर्थी को, जिसे प्रशासनिक विभाग के प्रधान द्वारा किसी शिक्षा वर्ष के दौरान किसी समय निष्कासित किया गया हो, उस शिक्षा वर्ष में हुई परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायगा।

(2) किसी अभ्यर्थी को, जिसे बोर्ड की किसी परीक्षा के लिये आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् सम्बद्ध संस्था से निर्वासित कर दिया गया है और उसके पश्चात् उसको किसी सम्बद्ध संस्था में प्रवेश नहीं दिया गया है, परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायगी।

टिप्पणी –

यदि उपर्युक्त शास्ति, परीक्षा के पाठ्यक्रम के दौरान या परीक्षा के पश्चात्, लेकिन उस सत्र की समाप्ति के पूर्व, जिसमें परीक्षा संचालित की जाती है, अधिरोपित की जाती है तो, उसकी परीक्षा रद्द कर दी जायगी।

प्रश्न-पत्र का स्वत्वाधिकार

43— परिषद् अपने प्रश्न-पत्रों का स्वत्वाधिकार सुरक्षित रखता है। यदि फिर भी कोई प्रकाशक/लेखक निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करे तो परिषद् किसी प्रकाशन में परिषद् की परीक्षा के प्रश्नों या प्रश्न-पत्रों को प्रस्तुतीकरण के लिये अनुमति दे सकता है:

(एक) प्रकाशक/लेखक प्रकाशन में प्रश्नों के साथ कोई हल/उत्तर सम्मिलित नहीं करेगा।

(दो) यह प्रकाशक/लेखक का उत्तरदायित्व होगा कि वह प्रश्न या प्रश्नपत्रों की शुद्धता प्रस्तुत करे।

(तीन) प्रकाशक/लेखक पर यह बन्धनकारी होगा कि वह न केवल इस तथ्य का उल्लेख करें कि प्रश्न/प्रश्न-पत्र परिषद् की अनुमति से प्रकाशित किए जा रहे हैं अपितु वह उक्त अनुमति-पत्र की संख्या और दिनांक को विशेष रूप से उद्धृत करेगा।

(चार) परिषद् द्वारा दी गई अनुमति का आवेदन पूर्णतः उस कलेण्डर वर्ष तक सीमित होगा जिसके लिए यह स्वीकृत किया गया है और स्वतः समाप्त हो जायगा जब तक इन नियमों के अधीन नवीनीकरण न कराया जाय और स्वीकृति न दे दी जाय।

(पांच) अनुमति चाहने वालों के लिए फीस दस रुपया प्रति प्रश्न-पत्र है।

प्रवेश परीक्षण

44—(1) प्रवेश परीक्षण के लिए आवेदन, यथास्थिति, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्/निदेशक, प्रौद्योगिक शिक्षा/प्रधानाचार्य द्वारा आमंत्रित किए जायेंगे। आवेदन-पत्र प्राप्त करने का अंतिम दिनांक अवधारित किया जायगा और समाचार-पत्रों के माध्यम से सार्वजनिक रूप से घोषित किया जायगा।

(2) प्रथम वर्ष कक्षा में प्रवेश सामान्य प्रवेश परीक्षा में पूर्णतः प्राप्त योग्यता के आधार (पूर्ण अंकों के प्रतिशत) पर किया जायगा।

(3) समय-समय पर दिए गए सरकारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति और अन्य से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए स्थान आरक्षित होंगे। यदि अपेक्षित संस्था में अभ्यर्थी सरकार द्वारा सुरक्षित श्रेणियों में उनके कोटा के विरुद्ध उपलब्ध न हो तो इस प्रकार रिक्त आरक्षित स्थानों को अनारक्षित समझा जायगा और उन्हें निदेशक, प्रौद्योगिक शिक्षा/राज्य सरकार की लिखित अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् प्रतीक्षा सूची में से योग्यता के आधार पर भरा जायगा।

(4) उप विनियम (2) और (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रवेश सम्बद्ध संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा सीधे किया जायगा लेकिन किसी अभ्यर्थी को, जो अपेक्षित प्रमाण प्रवेश परीक्षा परिषद् या निदेशक, प्रौद्योगिक शिक्षा द्वारा घोषित प्रवेश के अंतिम

दिनांक से विलम्बतम् 15 दिन तक या उस कलेण्डर वर्ष के 31 अगस्त से पूर्व, जो भी बाद में हो, जमा नहीं करता है या नहीं किया है, बोर्ड, की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायगी चाहे उसने संस्था में प्रवेश पा लिया हो।

(5) द्वितीय या तृतीय/अंतिम वर्ष की कक्षाओं के किसी पाठ्यक्रम में सीधे प्रवेश की अनुमति निम्नलिखित मामले के सिवाय नहीं दी जायगी :–

कोई अभ्यर्थी जिसने किसी सम्बद्ध संस्था में अध्ययन किया है और बोर्ड द्वारा संचालित, यथास्थिति, प्रथम वर्ष या द्वितीय/तृतीय वर्ष की वार्षिक परीक्षा सम्यकतः उत्तीर्ण की है बशर्ते वह विनियम 22 के अधीन प्रवेश के लिये पात्र हो और विनियम 17 के अधीन निष्क्रमण के लिये अनुमति दी जाय।

45— इन विनियमावली में निहित किसी बात के होते हुए भी परीक्षा समिति राज्य सरकार या भारत सरकार के नाम निर्दिष्टयों के मामले में सहायता कार्यक्रम के अधीन प्रवेश की न्यूनतम योग्यता और अपेक्षित आयु में छूट के मामलों पर विचार कर सकती है।

अनुसूची—1

(विनियम 34 देखिए)

क्रम-सं०	मद	प्रथम और द्वितीय वर्ष की वार्षिक परीक्षा	अंतिम डिप्लोमा प्रमाण-पत्र परीक्षा	अंतिम माध्यमिक प्राविधिक परीक्षा
1	2	3	4	5
		रुपये	रुपये	रुपये
1	मुख्य परीक्षा के लिए परीक्षा फीस	75.00	100.00	70.00
2	विशेष (बैक पेपर) परीक्षा के लिए––			
	(क) एक विषय के लिए	30.00	40.00	25.00
	(ख) दो विषय के लिए	50.00	60.00	50.00
3	(एक) एक विषय से भिन्न प्रति विषय संवीक्षा फीस	25.00	30.00	25.00
4	अंकों के ब्यौरे की संसूचना के लिए अनिवार्य फीस––			
	*(एक) मुख्य परीक्षा	5.00	5.00	5.00
	* (दो) विशेष बैक पेपर परीक्षा	5.00	5.00	5.00
	परन्तु यह कि यह खण्ड तब तक प्रयोजनीय होगा जब तक संस्था द्वारा अंक तालिका जारी न कर दिया जाय और जब तक परिषद् से कम्प्यूटराइज्ड अंक तालिका के जारी करने की प्रक्रिया पूरी न हो जाय			
5	अंक तालिका की द्वितीय प्रतिलिपि के लिए फीस	5.00	5.00	5.00
6	प्रवेश कार्ड की द्वितीय प्रतिलिपि के लिए फीस	5.00	5.00	5.00
7	परिषद् द्वारा जारी किए गए डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि के लिए फीस	...	30.00	30.00
8	उन वर्षों के जिसमें यह परीक्षा हुई 30 जून से पांच वर्ष की अवधि के भीतर दावा नही किए गये डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र के लिए फीस	...	5.00	5.00

* मुख्य और विशेष (बैक पेपर) परीक्षा के लिए फीस का 50 प्रतिशत सम्बद्ध संस्था द्वारा रख लिया जायगा।

1	2	3	4	5
9	परिषद् द्वारा इस प्रकार नियत किए गये दिनांक के अवसान के पश्चात् किन्तु सम्यक दिनांक के पश्चात् पन्द्रह दिन के भीतर परिषद् की परीक्षा में प्रवेश के आवेदन-पत्र प्रपत्रों को विलम्ब से भेजने के लिए फीस	10.00	10.00	10.00
10	ऊपर क्रम–संख्या 9 में विनिर्दिष्ट अंतिम दिनांक के अवसान के पश्चात् भी किन्तु 15 नवम्बर तक आवेदन-पत्र के प्रपत्रों को भेजने के लिए बढ़ायी गयी विलम्ब फीस	25.00	25.00	25.00

अनुसूची–दो

(विनियम 36 देखिए)

क्रम-सं०	मद	अंतिम दिनांक		
		बिना विलम्ब शुल्क	साधारण विलम्ब शुल्क रु० 10-00 की दर से	बढ़े हुए विलम्ब शुल्क रु० 25-00 की दर से
1	2	3	4	5
	अग्रसारण अधिकारी के कार्यालय में परिषद् की परीक्षा में प्रवेश आवेदन-पत्र को प्राप्ति के लिए अंतिम दिनांक तथा विहित फीस –			
1	एस० टी० सी० परीक्षा को सम्मिलित करते हुए द्वितीय, तृतीय या अंतिम वर्ष की परीक्षा के नियमित छात्र	10 अक्टूबर,	25 अक्तूबर	15 नवम्बर
2	एस० टी० सी० परीक्षा को सम्मिलित करते हुए प्रथम, द्वितीय, तृतीय या अंतिम परीक्ष के प्राइवेट अभ्यर्थी	10 सितम्बर	25 सितम्बर	15 नवम्बर
3	प्रथम वर्ष के नियमित छात्र (नये प्रवेश और पुर्न प्रवेश परीक्षा)	10 सितम्बर	25 सितम्बर	15 नवम्बर

अनुसूची–दो

(विनियम 32 देखिए)

क्रम-सं०	विवरण	अंतिम तिथि
1	2	3
1	विनियम 32 के अधीन फीस रोकने के लिए आवेदन-पत्र	अपनी-अपनी लिखित परीक्षा के प्रारम्भ होने से तीस दिन।
2	फीस की वापसी के लिये आवेदन-पत्र	कोषागार में फीस के भुगतान करने के दिनांक से एक वर्ष।
3	संवीक्षा के लिये आवेदन-पत्र	परिणाम घोषित होने के दिनांक से तीस दिन।

स्पष्टीकरण – जहां किसी प्रयोजन के लिये अंतिम दिनांक विहित किया जा चुका है और उस प्रयोजन के लिये फीस भी विहित की गई है वहां फीस ऐसे प्रयोज्य के लिये नियत किये गये दिनांक तक यथास्थिति कोषागार में या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जानी चाहिये।

अनुसूची–चार

(विनियम 10 देखिए)

क्रम-सं०	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	न्यूनतम अपेक्षित प्रवेश अर्हता
1	2	3	4
1	सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा	3 वर्ष	प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उ० प्र० लखनऊ द्वारा संचालित माध्यमिक प्राविधिक प्रमाण-पत्र परीक्षा उत्तीर्ण अथवा विज्ञान और गणित (प्रारम्भिक और सामान्य नहीं) विषयों के साथ हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण। अथवा समकक्ष अर्हता उत्तीर्ण।
2	विद्युत इंजीनियरिंग में डिप्लोमा	3 वर्ष	यथोक्त
3	यांत्रिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा (प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में विशेषीकृत)	3 वर्ष	यथोक्त
4	यांत्रिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा (आटोमोबाइल इंजीनियरिंग में विशेषीकृत)	3 वर्ष	यथोक्त
5	यांत्रिक इंजीनियरिंग (रेफ्रीजरेशन और एयर कंडीशनिंग में विशेषीकृत)	3 वर्ष	यथोक्त
6	इलेक्ट्रानिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा	3 वर्ष	यथोक्त
7	रसायन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा	4 वर्ष	यथोक्त
8	इंस्ट्रूमेंटेशन एण्ड कंट्रोल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा	3 वर्ष	यथोक्त
9	मृत्तिका–शिल्प इंजीनियरिंग में डिप्लोमा	3 वर्ष	यथोक्त
10	कृषि इंजीनियरिंग में डिप्लोमा	3 वर्ष	यथोक्त
11	वास्तु शिल्पीय सहायकी में डिप्लोमा	3 वर्ष	यथोक्त
12	वस्त्र प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा	3 वर्ष	यथोक्त
13	वस्त्र रसायन में डिप्लोमा	3 वर्ष	यथोक्त
14	दुग्धशाला इंजीनियरिंग में डिप्लोमा	3 वर्ष	यथोक्त
15	चर्म प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा	3 वर्ष	यथोक्त
16	फुट वियर और चर्म वस्तु प्रोद्योगिकी में डिप्लोमा	3 वर्ष	यथोक्त
17	सिविल एवं ग्रामीण इंजीनियरिंग में डिप्लोमा	3 वर्ष	यथोक्त
18	मुद्रण प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा	3 वर्ष	यथोक्त
19	रसायन प्रौद्योगिकी (रबर और प्लास्टिक) में डिप्लोमा	3 वर्ष	यथोक्त
20	रसायन प्रौद्योगिकी (उर्वरक प्रोद्योगिकी) में डिप्लोमा	3 वर्ष	यथोक्त
21	भेषजी में डिप्लोमा	2 वर्ष	यथोक्त
22	पोशाक डिजाइन और वस्त्र निर्माण में डिप्लोमा	2 वर्ष	कला/विज्ञान या गृह विज्ञान के साथ हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण
23	गृह विज्ञान में डिप्लोमा	2 वर्ष	हाई स्कूल या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण

1	2	3	4
24	वाणिज्य प्रैक्टिस में डिप्लोमा	2 वर्ष	इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष में अंग्रेजी और हिन्दी विषय के साथ या तो हाई स्कूल में या इण्टरमीडिएट में या दोनों में लेकर उत्तीर्ण। अंग्रेजी और हिन्दी के साथ स्नातक को अधिमान्यता वाणिज्य के साथ इण्टरपीडिएट को अधिमानता दी जायेगी।
25	आशुलिपि और साचिविक प्रैक्टिस में डिप्लोमा	2 वर्ष	इण्टरमीडिएट या इसके समकक्ष अंग्रेजी और हिन्दी विषयों के साथ या तो हाई स्कूल या इण्टरमीडिएट में या दोनों में उत्तीर्ण। हिन्दी और अंग्रेजी के साथ स्नातक को अधिमान दिया जायेगा।
26	पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा	2 वर्ष	द्वितीय श्रेणी में इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण (इण्टरमीडिएट विज्ञान अभ्यर्थियों को अधिमान)।
27	आंतरिक डिकोरेशन और डिजाइन में डिप्लोमा	3 वर्ष	विज्ञान और गणित में कम से कम 45 प्रतिशत अंकों के साथ (विज्ञान और गणित) के साथ हाई स्कूल उत्तीर्ण।
28	फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा	2 वर्ष	इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण।
29	वस्त्र डिजाइन	3 वर्ष	45 प्रतिशत अंकों के साथ हाई स्कूल उत्तीर्ण।
30	होटल प्रबन्ध और खान-पान प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा	3 वर्ष	एच० एस० सी० (बारहवीं स्तर की) परीक्षा में या विज्ञान, कला या वाणिज्य के शैक्षणिक स्ट्रीम्स में इसके समकक्ष उत्तीर्ण।
31	टेलीविजन में पोस्ट डिप्लोमा	1 वर्ष	इलेक्ट्रोनिक्स और इंस्ट्रूमेंटशन और कंट्रोल में डिप्लोमा यदि सीट रिक्त है तो विद्युत इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के धारकों को या भौतिक विज्ञान और गणित के साथ विज्ञान स्नातक और इलेक्ट्रानिक्स में रुझान रखने वालों को भी प्रवेश दिया जा सकता है।
32	इंस्ट्रूमेंटेशन में पोष्ट डिप्लोमा	1 वर्ष	विद्युत और यांत्रिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।
33	कार्यालय, नित्यचर्या (आटोमैशन) में पोस्ट डिप्लोमा	1 वर्ष	किसी भी विषय में स्नातक।
34	औद्योगिक सुरक्षा में पोस्ट डिप्लोमा	1 वर्ष	प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग की किसी शाखा में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा में उत्तीर्ण और या भौतिक या रसायन शास्त्र के साथ विज्ञान में मान्यता प्राप्त उपाधि।
35	संगणक उपयोग में डिप्लोमा	$1\frac{1}{2}$ वर्ष	इंजीनियरिंग की किसी शाखा में डिप्लोमा या किसी विषय में स्नातक (कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ)।
36	लेखा कर्म में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	1 वर्ष	कम से कम 45 प्रतिशत अंकों के साथ किसी विषय में स्नातक।
37	मार्केटिंग और सेल्स मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	1 वर्ष	अभ्यर्थी को कम से कम किसी विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक होना चाहिये। इस तथ्य का विचार बिना किये कि वे नियोजित हैं या अनियोजित।
38	औद्योगिक सम्बन्ध और कार्मिक प्रबन्ध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	1 वर्ष	यथोक्त
39	सहकारिता प्रबन्ध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	1 वर्ष	कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ विज्ञान, अर्थशास्त और वाणिज्य और वाणिज्य में स्नातक (अनुसूचित जाति/जनजाति के मामले में अहकारिक अंकों में 5 प्रतिशत की शिथिलता)

1	2	3	4
40	यांत्रिक इंजीनियरिंग में अंशकालिक डिप्लोमा (प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में विशेषीकृत)	4 वर्ष	विनियम 5 में उल्लिखित निबन्धनों और शर्तों के अधीन इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये न्यूनतम अर्हता निम्न प्रकार होगी :– विज्ञान और गणित के साथ हाई स्कूल उत्तीर्ण। या हाई स्कूल और आई० टी० आई० उत्तीर्ण।
41	विद्युत इंजीनियरिंग में अंशकालिक डिप्लोमा	4 वर्ष	यथोक्त
42	इलेक्ट्रोनिक्स में अंशकालिक डिप्लोमा	4 वर्ष	यथोक्त
43	व्यवसाय प्रबन्ध में अंशकालिक डिप्लोमा	2 वर्ष	विनियम 5 में यथा निर्धारित निबंधनों और शर्तों के अधीन इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये अर्हता निम्न प्रकार होगी :– इंजीनियरिंग की किसी शाखा में डिप्लोमा, या इंजीनियरिंग की किसी शाखा में डिप्लोमा, या किसी विषय में स्नातक उपाधि।
44	3 वर्षीया माध्यमिक प्राविधिक प्रमाण-पत्र (किसी व्यवसाय में	3 वर्ष	हिन्दी, अंग्रेजी और गणित के साथ कक्षा आठ या जूनियर हाई स्कूल।
45	व्यवसाय प्रबन्ध में पूर्ण कालिक स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम	2 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी क्षेत्र (कला, वाणिज्य, विज्ञान, इंजीनियरिंग इत्यादि) में स्नातक उपाधि या इसके समकक्ष।
46	व्यवसाय प्रबन्ध में अंशकालिक स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम	3 वर्ष	विनियम 5 में उल्लिखित निबन्धनों और शर्तों के अधीन इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये न्यूनतम अर्हता वैसी ही होगी जैसी पूर्वकालिक पाठ्यक्रम के लिये।
47	यान अनुरक्षण इंजीनियरिंग में डिप्लोमा	6 सेमिस्टर	भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित में कुल कम से कम 55 प्रतिशत (प्लस) के साथ 10+2 (भौतिक शास्त्र) रसायन और गणित में उत्तीर्ण।

अनुसूची–पांच

(विनियम 13 देखिए)

आरक्षण और वरीयता (वेटेज)

क्रम-सं०	राजाज्ञा संख्या और दिनांक	निम्नलिखित के लिये निर्धारित आरक्षण	आरक्षित पदों की संख्या
1	2	3	4
1	3793—डी/18–घ, दिनांक 18 जुलाई, 1963, 4670 ई० डी०/18–घ–1976–180 (क)/ई०डी०/1976, दिनांक 9 अगस्त, 1976 और 1435 प्रा० शि०/1 8 (घ–180) (एम)ई० डी०–76, दिनांक 16 जून, 1977	राजनैतिक पीड़ितों, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के विवाहित/अविवाहित पुत्र और पुत्रियों, पौत्र (पुत्र का) और अविवाहित पौत्रियों (पुत्र की लड़की)	संस्थानों की कुल इन्टेक का पांच प्रतिशत (यह आरक्षण केवल शिक्षा सत्र 1984–88 तक जारी रहेगा)

1	2	3	4
2	4517—1—ई० डी०/18-घ-365/ई० डी०-62, दिनांक 29, अगस्त 1963	जम्मू और कश्मीर राज्य से छात्र	(1) विद्युत और यांत्रिक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में राजकीय पालीटेक्निक, गोरखपुर में दो स्थान और, (2) गवर्नमेन्ट सेन्ट्रल टेक्सटाइल इन्स्टीट्यूट, कानपुर में टेक्सटाइल टेक्नोलाजी पाठ्यक्रम में एक स्थान।
3	310—ई० डी०/18-घ-322 ई० डी०-63, दिनांक 3 फरवरी, 1964 और 4670 ई० डी०/18-घ-1976/180 (एम)/ई० डी०/1976, दिनांक 9 अगस्त, 1976	सक्रिय सेवा में सैनिक कर्मियों के पुत्र और पुत्रियों या भूतपूर्व कार्मिक सक्रिय सेवा में सैनिक कार्मिक पैरामिलिट्री फोर्सेज के सैत्रिक कार्मिक	संस्थानों की कुल इन्टेक का पांच प्रतिशत।
	1485—ई० डी०/18-घ-180 (एम) ई० डी०-76, दिनांक 21 जून, 1977 और 1485-ई० डी०-18-घ, दिनांक 2 अगस्त, 1977, 5152/18-प्रा० शि० 2-180 (एम) ई० डी० 76, दिनांक 29 अगस्त 1981	(जिसमें सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, आसाम राइफल्स और इण्डो- तिब्बत सीमा पुलिस भी सम्मिलित है) जो युद्ध या मुठभेड़ में विकलांग हो गये या मार डाले गये हैं।	
4	3508—ई० डी०/18, दिनांक 24 दिसम्बर, 1965, 5587-ई० डी० 18-घ-ए० ओ०-20 ई० डी०/1963, दिनांक 24 नवम्बर, 1969 और 1757 ई० डी०/18-घ-383(एम) ई० डी०-77, दिनांक 30 जून, 1978	1—अनुसूचित जाति 2—अनुसूचित जनजाति 3—पिछड़े वर्ग	संस्थानों की कुल इन्टेक का 18 प्रतिशत। संस्थानों की कुल इन्टेक का दो प्रतिशत। संस्थानों की कुल इन्टेक का पन्द्रह प्रतिशत।
5	2420—ई० डी०/18-डी-41-ई० डी०-65, दिनांक 7 दिसम्बर, 1965	पूर्वी अफ्रीकी देशों और श्रीलंका में आने वाले शरणार्थी छात्र	प्रत्येक संस्थान में एक स्थान।
6	1568/18-प्रा० शि०-2-8 (एम)-83, दिनांक 16 जुलाई, 1984, 6763-ई० डी०/18-डी-400 ई० डी०-61, दिनांक 10 जनवरी, 1963, 3894-ई० डी० 18-डी-400 ई० डी०-61, दिनांक 7 अगस्त, 1968, 3121 टी-18-घ-158-टी-75, दिनांक 1 अगस्त, 1975 और 3440 टी/18-घ-158 टी-75, दिनांक 25 अगस्त, 1975	पहाड़ी जिलों (अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, देहरादून, गढ़वाल, चमोली, नैनीताल, टेहरी-गढ़वाल और उत्तरकाशी) में रहने वाले छात्र।	निम्नलिखित प्रत्येक पालीटेक्निक में कुल इन्टेक की 50 प्रतिशत स्थान राजकीय पालीटेक्निक, श्रीनगर (गढ़वाल), काशीपुर (नैनीताल), उत्तरकाशी।

1	2	3	4
	राजाज्ञा 473/16 प्र० शि० 2-403 बी० डी०/61 टी० सी०, दिनांक 16 जनवरी, 1982 3109 बी० डी०/18 घ–180 (1) (एम) आई० डी०–76, दिनांक 12 जनवरी, 1982	**टिप्पणी–** देहरादून, नैनीताल और गढ़वाल जिलों के सम्बन्ध में केवल निम्नलिखित भागों के लिये आरक्षण होगा –	नरेन्द्रनगर (टेहरी-गढ़वाल), द्वारा हाट (अल्मोड़ा) लोहाघाट (पिथौरागढ़), गोचर (चमोली) और देहरादून और नैनीताल पालीटेक्निक, नैनीताल।
	11675—ई० डी०/18–घ–400 ई० डी०–61 टी० सी०, दिनांक 14 जनवरी, 1980, 1642/15–प्रा० शि०–2—156 (ई) ई० डी०/50, दिनांक 11 मार्च, 1981, राजाज्ञा संख्या 4242/चार/61/63, दिनांक 5 सितम्बर, 1963 (सांस्कृतिक कार्य एवं वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग)	1—देहरादून सम्पूर्ण चकराता तहसील और देहरादून तहसील के उत्तर और पूर्व में पड़ने वाली मंसूरी पहाड़ियों के अन्तर्गत आने वाला राज्य क्षेत्र जो कि गंगा और यमुना नदियों के बीच राजपुर से ऊपर ऊंचाई की ओर पड़ता है। 2—कोटा बारा क्षेत्र को सम्मिलित करते हुये उप-पर्वतीय सड़क का ऊपरी नैनीताल और गढ़वाल का राज्य क्षेत्र।	(2) उत्तरी क्षेत्रीय मुद्रण प्रौद्योगिकी विद्यालय इलाहाबाद में तीन स्थान। (3) गवर्नमेन्ट सेन्ट्रल टेक्सटाइल इन्स्टीट्यूट, कानपुर में दो स्थान और (4) राजकीय चर्म संस्थान, कानपुर में एक स्थान। (5) राजकीय चर्म संस्थान, आगरा में 4 स्थान। (6) राजकीय महिला पालीटेक्निक, लखनऊ में 4 स्थान।

आज्ञा से,
शशांक शेषर सिंह,
प्रमुख सचिव।